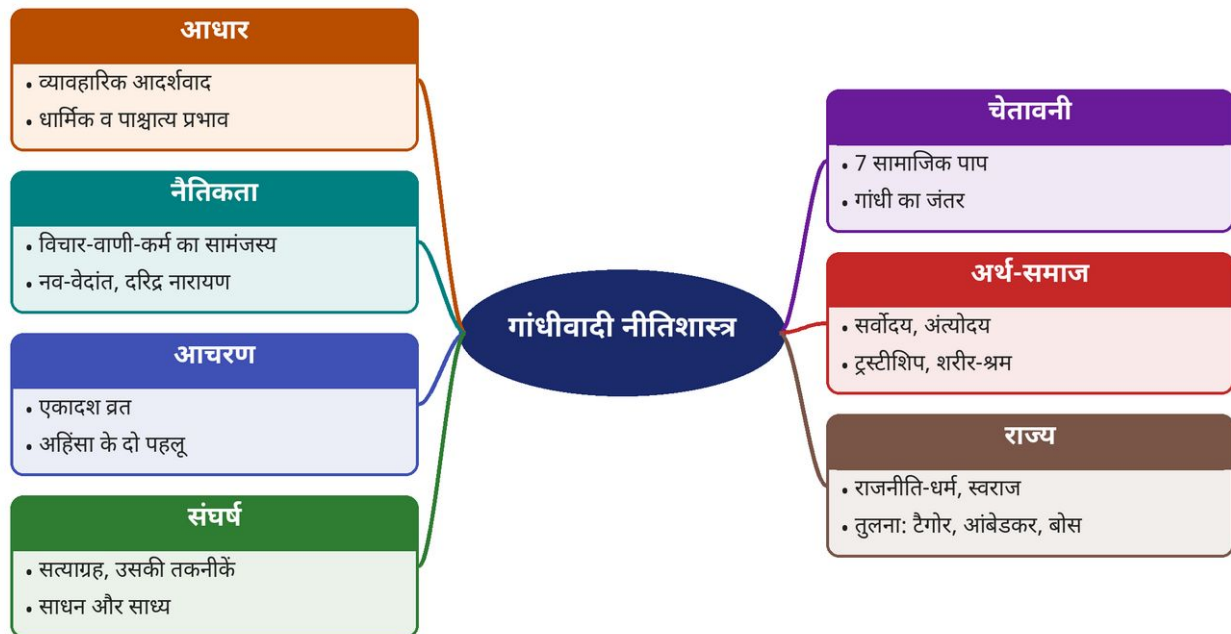


📖 शुरुआत एक सच्ची घटना से...

राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलांत्री गाँव के तत्कालीन सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने एक अनोखी परंपरा शुरू की — गाँव में जब भी कोई बेटी जन्म लेती, तो पूरा गाँव मिलकर उसके नाम पर 111 पेड़ लगाता। यह फैसला उन्होंने अपनी बेटी की असमय मृत्यु के बाद, उसकी याद में लिया था। धीरे-धीरे यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक पूरा सामाजिक मॉडल बन गया — गाँव वाले हर बेटी के जन्म पर पेड़ लगाने के साथ-साथ, परिवार से यह वचन भी लेते हैं कि बेटी की पढ़ाई पूरी कराएँगे और बाल-विवाह नहीं करेंगे, ताकि पेड़ों की तरह वह बेटी भी पूरी तरह पल्लवित हो सके। आज पिपलांत्री में लाखों पेड़ हैं, भूजल स्तर सुधरा है, और गाँव में लिंगानुपात देश के औसत से कहीं बेहतर है। यह कहानी ठीक वही भावना दिखाती है जो महात्मा गांधी के 'सर्वोदय' सिद्धांत की जड़ में है — समाज के हर वर्ग (यहाँ स्त्री और प्रकृति, दोनों) का साथ-साथ उत्थान, बिना किसी को पीछे छोड़े। पालीवाल जी न कोई बड़े दार्शनिक हैं, न कोई सरकारी योजना के बड़े अधिकारी — फिर भी उन्होंने गांधी के विचारों को ज़मीन पर उतार दिया। यही गांधीवादी नीतिशास्त्र की सबसे बड़ी खूबी है — यह किसी मोटी किताब में बंद सिद्धांत नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के जीवन और प्रशासन में उतारा जा सकने वाला एक व्यावहारिक दर्शन है।

अध्याय 05 — एक नज़र में



चित्र 5.1: अध्याय 05 — एक नज़र में

कहानी: अध्याय की यात्रा — "साबरमती की एक सुबह: सुधा और हरिभाई"

(यह एक काल्पनिक कहानी है। आश्रम का हर पड़ाव इस अध्याय के एक खंड से जुड़ा है।)

राज्य प्रशासनिक सेवा की प्रशिक्षु अधिकारी **सुधा** अपने बैच के साथ अहमदाबाद के **साबरमती आश्रम** पहुँची। उसे लगता था कि गांधी तो इतिहास की किताबों का एक अध्याय भर हैं — पुरानी बातें, पुराने लोग। आश्रम के बुजुर्ग गाइड **हरिभाई** ने मुस्कुराकर कहा — "बेटा, आज मैं तुम्हें गांधी नहीं, तुम्हारी अपनी नौकरी की नियमावली दिखाऊँगा।"

पहला पड़ाव — चरखा: हरिभाई ने चरखा दिखाया — "गांधी कोई किताबी विचारक नहीं थे। उन्होंने जो कहा, पहले स्वयं करके दिखाया। इसे **व्यावहारिक आदर्शवाद** कहते हैं।" (खंड 1)

दूसरा पड़ाव — पुस्तकों की अलमारी: गीता, बाइबिल, रस्किन, टॉल्स्टॉय, थोरो — "गांधी ने हर धर्म और हर विचारक से कुछ न कुछ सीखा।" (खंड 2)

तीसरा पड़ाव — दर्पण: एक छोटे दर्पण के नीचे लिखा था — "जो सोचो, वही बोलो; जो बोलो, वही करो।" हरिभाई बोले — "यही गांधी की नैतिकता का पूरा सार है; और गरीब में भगवान देखना — **दरिद्र नारायण** — उसकी आत्मा।" (खंड 3 और 4)

चौथा पड़ाव — प्रार्थना-भूमि की दीवार: वहाँ आश्रम के **ग्यारह व्रत** लिखे थे — सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, शरीर-श्रम... सुधा ने सोचा, "अस्तेय और अपरिग्रह — यही तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध असली ढाल है।" (खंड 5)

पाँचवाँ पड़ाव — दांडी का चित्र: "एक मुट्ठी नमक से साम्राज्य हिला दिया — यह **सत्याग्रह** था; और जब चौरी-चौरा में हिंसा हुई, तो गांधी ने पूरा आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उनके लिए **साधन** भी उतने ही पवित्र थे जितना **साध्य**।" (खंड 6 और 7)

छठा पड़ाव — एक पट्टिका: सात सामाजिक पाप — "सिद्धांत बिना राजनीति, श्रम बिना धन..." और उसके नीचे **गांधी का जंतर** — "जब संदेह हो, सबसे गरीब का चेहरा याद करो।" सुधा ने वह जंतर अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा लिया। (खंड 8)

सातवाँ पड़ाव — एक उद्योगपति को लिखी चिट्ठी: "धन तुम्हारा नहीं, समाज की अमानत है — तुम उसके **ट्रस्टी** हो।" हरिभाई ने समझाया कि **सर्वोदय** का अर्थ सबका उदय है, और **अंत्योदय** का अर्थ अंतिम व्यक्ति से शुरुआत। (खंड 9)

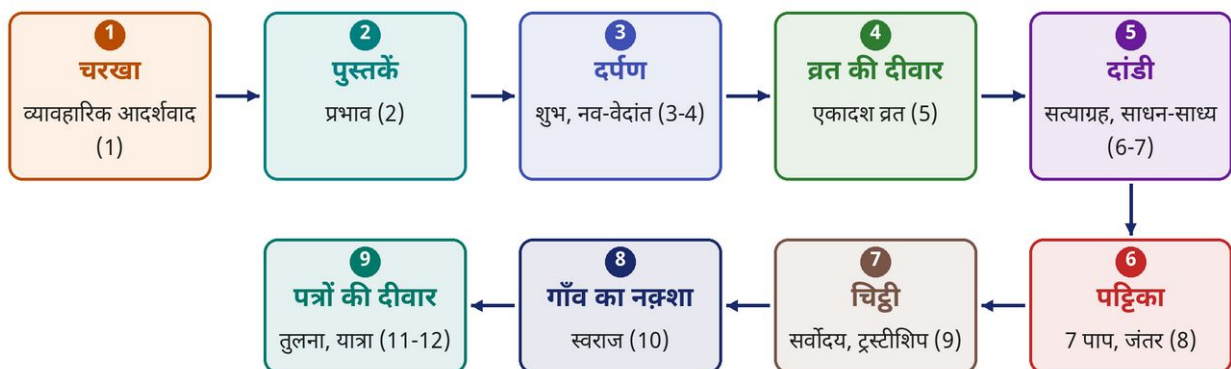
आठवाँ पड़ाव — गाँव का नक्शा: "गांधी का सपना था **ग्राम स्वराज** — हर गाँव अपने निर्णय खुद ले। आज की ग्राम पंचायतें उसी सपने का संवैधानिक रूप हैं।" (खंड 10)

नौवाँ पड़ाव — पत्रों की दीवार: टैगोर, आंबेडकर और सुभाष बोस के साथ गांधी के पत्र — "महान लोग भी असहमत होते थे, पर संवाद नहीं तोड़ते थे।" और आखिर में एक लंबी समय-रेखा, पोरबंदर से दिल्ली तक। (खंड 11 और 12)

लौटते समय सुधा ने आगंतुक-पुस्तिका में लिखा — "मैं इतिहास देखने आई थी, अपनी सेवा की नियमावली लेकर जा रही हूँ।" आइए, अब यही यात्रा हम इस अध्याय में करते हैं।

इस कहानी से सीख: यह अध्याय गांधीवादी नैतिकता के आधार (व्यावहारिक आदर्शवाद, प्रभाव), मूल्यों (सत्य, अहिंसा, एकादश व्रत), संघर्ष-पद्धति (सत्याग्रह, साधन-साध्य), सामाजिक-आर्थिक दर्शन (सर्वोदय, ट्रस्टीशिप) और राज्य-दर्शन (स्वराज) की क्रमबद्ध यात्रा कराता है।

सुधा की साबरमती यात्रा — अध्याय के नौ पड़ाव



चित्र 5.2: सुधा की साबरमती यात्रा — अध्याय के नौ पड़ाव

अध्याय विषय-सूची

1	परिचय, विशेषताएँ एवं मूल आधार	7	साधन और साध्य (Ends vs Means)
2	धार्मिक एवं पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव	8	गांधी के 7 सामाजिक पाप (7 Social Sins)
3	शुभ और नैतिकता की गांधीवादी अवधारणा	9	सर्वोदय एवं ट्रस्टीशिप (Sarvodaya and Trusteeship)
4	नव-वेदांती दर्शन (Neo-Vedantic Philosophy)	10	राजनीति-धर्म, राज्य की अवधारणा, हृदय-परिवर्तन एवं स्वराज
5	एकादश व्रत — ग्यारह व्रत (Ekadash Vrat)	11	तुलनात्मक अध्ययन — गांधी बनाम टैगोर/आंबेडकर/बोस
6	सत्याग्रह — सत्य की शक्ति (Satyagraha)	12	गांधीवादी नीतिशास्त्र — ऐतिहासिक यात्रा एवं प्रशासनिक प्रासंगिकता

1. परिचय, विशेषताएँ एवं मूल आधार

गांधीवादी नीतिशास्त्र किसी एक दार्शनिक ग्रंथ में नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के पूरे जीवन, आंदोलनों और व्यक्तिगत प्रयोगों में मिलता है। गांधीजी कोई अकादमिक (किताबी) विचारक नहीं थे, बल्कि एक जननेता (Mass Leader) थे — उनका दर्शन उनके धार्मिक विश्वासों, जन-आंदोलनों के अनुभव और विश्व के अलग-अलग विचारकों के प्रभाव से मिलकर बना। इसीलिए इसे 'व्यावहारिक आदर्शवाद' (Practical Idealism) कहा जाता है — यानी सिद्धांत सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि रोज़ के जीवन में जीकर दिखाए गए।

आसान परिभाषा: व्यावहारिक आदर्शवाद (Practical Idealism)

परिभाषा: एक ऐसा नैतिक दृष्टिकोण जिसमें ऊँचे आदर्श (जैसे सत्य, अहिंसा) सिर्फ सोच-विचार तक सीमित न रहकर, वास्तविक जीवन और सार्वजनिक आंदोलनों में लागू किए जाते हैं।

आसान भाषा में: जैसे कोई सिर्फ यह न कहे कि 'ईमानदारी अच्छी चीज़ है', बल्कि खुद अपनी ज़िंदगी में हर छोटे-बड़े फैसले में ईमानदारी बरते — गांधीजी ने ठीक यही किया, इसीलिए उन्होंने कहा 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश है' (My life is my message)। **उदाहरण:** एक कलेक्टर जो सिर्फ भाषणों में पारदर्शिता की बात न करे, बल्कि खुद अपनी हर फाइल और खर्च को जनता के सामने पारदर्शी रखे — यह प्रशासन में व्यावहारिक आदर्शवाद है।

1.1 गांधीवादी नीतिशास्त्र की विशेषताएँ

पहलू	गांधीवादी नीतिशास्त्र की विशेषता
स्वरूप	व्यावहारिक आदर्शवाद (Practical Idealism) — सिद्धांत और व्यवहार का सामंजस्य।
मूल आधार	सत्य और अहिंसा — दोनों एक-दूसरे के लिए अनिवार्य, अलग नहीं किए जा सकते।
स्रोत	धार्मिक विश्वास + जन-आंदोलनों का अनुभव + विश्व के विचारकों का प्रभाव — तीनों का मेल।
सार्वभौमिकता	किसी एक धर्म, देश या काल तक सीमित नहीं — सभी संस्कृतियों के लिए प्रासंगिक माना जाता है।
मुख्य संदेश	"मेरा जीवन ही मेरा संदेश है" — जो कहा, वही करके दिखाया।
नैतिकता की कसौटी	विचार, वाणी और कर्म — तीनों में सामंजस्य होना ही सच्ची नैतिकता है।

गांधीवादी दर्शन — दोहरे लक्ष्य वाला दर्शन: गांधीवादी दर्शन का लक्ष्य एक साथ दो परिवर्तन करना है — **व्यक्ति का परिवर्तन** और **समाज का परिवर्तन**, दोनों सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार। गांधीजी ने स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और एक विपुल लेखक के रूप में मानव-जीवन के लगभग हर पहलू — राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और नैतिक — पर विचार रखे। उनके विचारों का विकास किसी पुस्तकालय में नहीं, बल्कि अहिंसक जन-संघर्ष के बीच हुआ, इसलिए उनमें समय-समय पर कुछ बदलाव भी दिखते हैं।

1.2 गांधीजी के अनुसार कोई कर्म "नैतिक" कब है?

गांधीजी के अनुसार कोई कर्म तभी नैतिक है, जब वह एक साथ **छह कसौटियों** पर खरा उतरे — वह **स्वैच्छिक** (Volitional) हो, **सोच-समझकर किया गया** (Intentional) हो, **सार्वभौमिक** (Universal — सब पर लागू हो सके) हो, **व्यावहारिक** (Practical) हो, **निःस्वार्थ** (Selfless) हो, और **भय तथा दबाव से मुक्त** हो। गांधीवादी नैतिक जीवन के तत्व हैं — शांत, सौम्य और स्थिर व्यक्तित्व का विकास, अच्छी आदतें, संयम, परोपकार और सदाचार। यानी गांधीजी के अनुसार नैतिक जीवन किसी एक बड़े अच्छे काम से नहीं बनता, बल्कि रोज़ की अच्छी आदतों, अपनी इच्छाओं पर संयम और दूसरों की भलाई के छोटे-छोटे कामों से धीरे-धीरे एक शांत और स्थिर व्यक्तित्व बनता है — और यही व्यक्तित्व कठिन समय में भी सही रास्ते से नहीं डिगता।

गांधीवादी "नैतिक नियम" की विशेषताएँ: यह नियम पवित्र, सार्वभौमिक, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, देश-काल से स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ है; यह बाहर से थोपा नहीं जाता, बल्कि **स्वयं पर लागू किया जाता है** (Self-imposed), हृदय में निवास करता है और व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप से जुड़ा है। सरल शब्दों में — सच बोलना या किसी को कष्ट न देना जैसा नैतिक नियम हर देश, हर युग और हर व्यक्ति पर एक-सा लागू होता है; यह किसी की सुविधा या समय के साथ नहीं बदलता। और इसका पालन व्यक्ति किसी क़ानून या सज़ा के डर से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर स्वयं करता है।

गांधीजी के अनुसार नैतिक कर्म की छह कसौटियाँ

नैतिक कर्म

स्वैच्छिक अपनी इच्छा से, मजबूरी में नहीं	सोचा-समझा सजग इरादे से	सार्वभौमिक सब पर लागू हो सके
व्यावहारिक जीवन में उतर सके	निःस्वार्थ निजी लाभ के बिना	भय-मुक्त डर या दबाव से नहीं

चित्र 5.3: गांधीजी के अनुसार नैतिक कर्म की छह कसौटियाँ

गांधीवादी नैतिकता के मूल सिद्धांत और उनकी प्रासंगिकता: गांधीवादी नैतिकता के केंद्र में सत्य और अहिंसा हैं; इन्हीं से सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप और सर्वोदय जैसे उप-सिद्धांत निकलते हैं। आज के प्रशासन में इनकी प्रासंगिकता उदाहरणों से सबसे अच्छी तरह समझ आती है — जैसे सत्य का अर्थ है पारदर्शी और ईमानदार कामकाज, अहिंसा का अर्थ है विवाद को बल के बजाय संवाद से सुलझाना, ट्रस्टीशिप का अर्थ है सार्वजनिक धन और संसाधनों को जनता की अमानत समझना, और सर्वोदय का अर्थ है योजनाओं का लाभ सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना। इस अध्याय की कहानियाँ और उदाहरण यही बात विस्तार से दिखाते हैं।

2. धार्मिक एवं पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव

गांधीजी का नैतिक दर्शन किसी एक स्रोत से नहीं, बल्कि कई धर्मों और पश्चिमी विचारकों के मेल से बना। यह उनकी सबसे बड़ी खासियत थी — वे हर जगह से अच्छाई चुनकर अपने दर्शन में पिरो लेते थे।

2.1 धार्मिक प्रभाव

धर्म	प्रमुख प्रभाव	गांधीजी में अभिव्यक्ति
बौद्ध धर्म	अहिंसा का सिद्धांत।	अहिंसा को सत्याग्रह की आत्मा बनाया — किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा न लेना।
जैन धर्म	पाँच महाव्रत (सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह) तथा अनेकांतवाद (सत्य को कई दृष्टिकोणों से देखने का सिद्धांत)।	गांधीजी के एकादश व्रतों की नींव इन्हीं पाँच महाव्रतों पर टिकी है; अनेकांतवाद से उन्होंने विरोधी के विचार में भी सत्य के अंश ढूँढने की समझ पाई।
हिंदू धर्म	"वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीर पराई जाने रे" (सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों का दर्द समझे) तथा स्वधर्म का विचार।	दूसरों की पीड़ा समझना और अपने नियत कर्तव्य (स्वधर्म) का पालन करना — दोनों को जीवन का आधार बनाया।
ईसाई धर्म	करुणा और प्रेम — ईसा मसीह की शिक्षाएँ, विशेषकर 'पर्वत पर उपदेश' (Sermon on the Mount)।	सर्वधर्म समभाव तथा 'दूसरा गाल भी आगे कर दो' जैसी क्षमाशीलता की भावना को अपनाया।

New India Education by Omkar Sir

2.2 पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव

विचारक	पुस्तक / विचार	गांधीजी पर प्रभाव
सुकरात (Socrates)	जीवनभर सत्य की खोज में लगे रहे, मृत्यु से नहीं डरे।	गांधीजी ने वर्ष 1908 में दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए प्लेटो द्वारा लिखित सुकरात की 'Apology' का गुजराती में रूपांतरण किया, जिसे उन्होंने शीर्षक दिया — 'एक सत्यवीर की कथा' (Story of a Soldier of Truth) — यहीं से सुकरात के प्रति उनका यह सम्मान झलकता है।
लियो टॉल्स्टॉय (Tolstoy)	'द किंगडम ऑफ़ गॉड इज़ विदइन यू' (The Kingdom of God is Within You)	बुराई का अहिंसक प्रतिरोध (Non-resistance to Evil by violent means) — यही विचार आगे चलकर सत्याग्रह का आधार बना।
जॉन रस्किन (Ruskin)	'Unto This Last'	सर्वोदय, अंत्योदय (समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान) और श्रम की गरिमा (Dignity of Labour) का सिद्धांत इसी किताब को पढ़कर विकसित हुआ।
हेनरी डेविड थोरो (Thoreau)	'सविनय अवज्ञा' (Civil Disobedience)	सविनय अवज्ञा (Civil Disobedience) आंदोलन की तकनीक की प्रेरणा यहीं से मिली।

गांधीवादी विचार के स्रोत



चित्र 5.4: गांधीवादी विचार के स्रोत

☀ पीटरमैरिट्ज़बर्ग की वह रात — जहाँ सत्याग्रह का बीज पड़ा

7 जून 1893 की रात, दक्षिण अफ्रीका। युवा वकील **मोहनदास गांधी** के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था, फिर भी एक श्वेत यात्री की आपत्ति पर उन्हें **पीटरमैरिट्ज़बर्ग** स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतार दिया गया। कड़ाके की ठंड में वे पूरी रात स्टेशन के प्रतीक्षालय में बैठे रहे और सोचते रहे — "क्या मैं भारत लौट जाऊँ, या यहीं रहकर इस अन्याय से लड़ूँ?"

उन्होंने लड़ने का निर्णय लिया — पर हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा से। बाद में उन्होंने इस रात को अपने जीवन के सबसे निर्णायक क्षणों में गिना। यह घटना दिखाती है कि अन्याय का अनुभव जब निजी क्रोध के बजाय सार्वजनिक संकल्प में बदलता है, तो वह इतिहास बदल सकता है।

☀ गांधी के पहले शिक्षक — माँ, पत्नी और गुरु

मूल्यों के निर्माण में परिवार की भूमिका सबसे पहली और सबसे गहरी होती है, क्योंकि वहाँ भावनात्मक जुड़ाव सबसे अधिक होता है और बच्चा अपने माता-पिता को देखकर सीखता है (अनुकरण द्वारा सीखना)। गांधीजी स्वयं इसका उदाहरण हैं। अपनी आत्मकथा में उन्होंने बताया कि उनकी माँ **पुतलीबाई** कठोर व्रत और उपवास रखती थीं — उपवास और आत्म-संयम का पहला पाठ उन्होंने वहीं से सीखा। और उन्होंने स्वीकार किया कि अहिंसक प्रतिरोध — यानी बिना हिंसा के, शांत दृढ़ता से अन्याय का विरोध — का पाठ उन्हें अपनी पत्नी **कस्तूरबा** से मिला, जो उनकी ज़िद के आगे शांत रहकर भी झुकती नहीं थीं।

राजनीतिक जीवन में **गोपाल कृष्ण गोखले** उनके गुरु बने, जिन्होंने भारत और जीवन के प्रति गांधी की दृष्टि को आकार दिया। यह दिखाता है कि एक शिक्षक या गुरु अपने शिष्य के नैतिक आचरण को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकता है — जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को और विवेकानंद ने भगिनी निवेदिता को।

☀ एक प्रामाणिक उद्धरण

"अहिंसा मेरी आस्था का पहला सिद्धांत है, और यह मेरी आस्था का अंतिम सिद्धांत भी है।" ("Non-violence is the first article of my faith. It is also the last article of my creed.") — यह गांधीजी का एक सुप्रमाणित, बार-बार उद्धृत किया जाने वाला कथन है, जो उनके जीवन में अहिंसा के केंद्रीय स्थान को दर्शाता है।

धार्मिक और पाश्चात्य प्रभावों को **स्रोत और परिणाम की जोड़ी** के रूप में समझना सबसे आसान है — यानी हर स्रोत से गांधीजी ने कौन-सा विचार लिया। जैसे रस्किन की पुस्तक 'Unto This Last' से सबके कल्याण यानी सर्वोदय का विचार आया; टॉल्स्टॉय के 'बुराई का हिंसा से प्रतिरोध न करने' के विचार से सत्याग्रह की नींव पड़ी; और थोरो के निबंध से अन्यायपूर्ण क़ानून को शांतिपूर्वक तोड़ने यानी सविनय अवज्ञा की प्रेरणा मिली।

3. शुभ और नैतिकता की गांधीवादी अवधारणा

☀ प्रसिद्ध कथन

"खुशी तब है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं — उनमें सामंजस्य हो।" — महात्मा गांधी के नाम से प्रचलित

गांधीजी के अनुसार कोई भी कार्य तभी नैतिक (शुभ) माना जाएगा जब वह जानबूझकर, सार्वभौमिक रूप से लागू होने योग्य, निस्वार्थ और भय से पूरी तरह मुक्त होकर किया गया हो। नैतिक व्यक्ति में शांति, संयम, सत्य, प्रेम, अहिंसा, करुणा, निडरता और परोपकार — ये सभी गुण एक साथ पाए जाते हैं। व्यक्तिगत परिणामों की परवाह किए बिना हमेशा सही का साथ देना ही 'लोकसंग्रह' है — यानी अपने आचरण से पूरे समाज को सही दिशा दिखाना।

🔍 आसान परिभाषा: विचार-वाणी-कर्म का सामंजस्य (Harmony in Thought, Word and Action)

📖 **परिभाषा:** गांधीजी के अनुसार नैतिकता की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि इंसान जो मन में सोचे, वही जुबान से कहे, और वही अपने कर्म में भी करे — तीनों में कोई फ़र्क न हो।

💡 आसान भाषा में: जैसे कोई बच्चा मन में जानता हो कि नकल करना गलत है, जुबान से भी यही कहे, और फिर खुद परीक्षा में नकल न करे — यही तीनों का सामंजस्य है। अगर वह सिर्फ कहे कि नकल गलत है पर खुद नकल कर ले, तो सामंजस्य टूट जाता है। **🏠 उदाहरण:** एक अधिकारी जो भाषण में भ्रष्टाचार-विरोध की बात करे, पर खुद रिश्त ले — यह विचार-वाणी-कर्म में असामंजस्य (Unethical) का उदाहरण है; इसके विपरीत जो कहे और वैसा ही करे, वह गांधीवादी अर्थ में सच्चा नैतिक व्यक्ति है।

गांधीवादी नैतिकता की कसौटी — तीनों में एकता



चित्र 5.5: गांधीवादी नैतिकता की कसौटी — तीनों में एकता

“ कमज़ोर कभी क्षमा नहीं कर सकते; क्षमा करना तो बलवान का गुण है। (The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.) ” — महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi), यंग इंडिया, 1931

3.1 गांधीवादी नैतिकता का प्रशासनिक उपयोग

गांधीवादी नैतिकता	प्रशासनिक उपयोग	उदाहरण
निस्वार्थ कर्म	अपने नियत कर्तव्य (Duty) से आगे जाकर काम करना।	केरल बाढ़ (2018) के दौरान कई अधिकारियों ने प्रोटोकॉल से परे जाकर, अपनी जान जोखिम में डालकर बचाव-कार्य किया।
सार्वभौमिकता	सबका साथ, सबका विकास — किसी वर्ग को पीछे न छोड़ना।	स्वच्छ भारत मिशन — सफाई को हर नागरिक, हर वर्ग का साझा दायित्व बनाना।
सहिष्णुता	धार्मिक व सामाजिक सहिष्णुता बनाए रखना (संविधान का अनुच्छेद 25-28)।	अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सचचर समिति (Sachar Committee) की रिपोर्ट व सिफारिशें।
परोपकार	व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज-सेवा।	टाटा ट्रस्ट्स, अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन जैसी संस्थाओं का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्य।

☀️ "हिमालय जैसी भूल" — जब गांधी ने सबके सामने अपनी गलती मानी

1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधीजी ने देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। पर अहमदाबाद, नडियाद और कुछ अन्य जगहों पर आंदोलन हिंसक हो गया। गांधीजी ने किसी और पर दोष डालने के बजाय सार्वजनिक रूप से कहा कि लोगों को सत्याग्रह का अनुशासन सिखाए बिना आंदोलन शुरू करना उनकी **"हिमालय जैसी भूल" (Himalayan Miscalculation)** थी, और उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। एक बड़े नेता द्वारा अपनी गलती को इतने बड़े शब्दों में सबके सामने स्वीकारना — यही गांधी की **सत्यनिष्ठा** है। उनके लिए सत्य केवल दूसरों से बोलने की चीज़ नहीं, बल्कि सबसे पहले स्वयं से बोलने की चीज़ था।

📖 कहानी: "सच की क्रीमत" — एक तहसीलदार जिसने अपनी गलती मानी

चित्तौड़गढ़ ज़िले की एक तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि-अधिग्रहण चल रहा था। तहसीलदार **दिनेश** (काल्पनिक नाम) के कार्यालय ने मुआवज़े की सूची तैयार करके ज़िले को भेज दी थी। सूची जारी होने के दो हफ्ते बाद एक बुजुर्ग किसान **धन्नाराम** ने आकर बताया कि उनकी संचित ज़मीन को सूची में "असंचित" लिख दिया गया है, जिससे उनका मुआवज़ा लगभग आधा रह गया।

दिनेश ने रिकॉर्ड की जाँच करवाई — गलती उन्हीं के कार्यालय की थी। उनके एक सहयोगी ने सलाह दी — "साहब, सूची ज़िले से स्वीकृत हो चुकी है। अब इसे खोलेंगे तो ऊपर से पूछताछ होगी, आपकी छवि खराब होगी। किसान को अपील में जाने दीजिए।" अपील का अर्थ था — एक बुजुर्ग किसान के लिए महीनों की भाग-दौड़।

दिनेश को गांधीजी की आत्मकथा का वह वाक्य याद आया, जो उन्होंने प्रशिक्षण के दिनों में पढ़ा था — सत्य के प्रयोग का अर्थ है अपनी गलती को सबसे पहले स्वयं स्वीकारना। उन्होंने ज़िला कलेक्टर को एक स्पष्ट पत्र लिखा — "यह त्रुटि मेरे कार्यालय की है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है; संशोधन का प्रस्ताव संलग्न है।" साथ ही उन्होंने पूरी सूची का दोबारा भौतिक सत्यापन करवाया, जिसमें ऐसी ही चार और गलतियाँ मिलीं।

कलेक्टर ने संशोधन स्वीकार किया और समीक्षा बैठक में सबके सामने कहा — "गलती होना प्रशासनिक कमज़ोरी है, पर गलती छिपाना नैतिक कमज़ोरी है। दिनेश ने दूसरी कमज़ोरी से बचकर पहली को भी सुधार दिया।" धन्नाराम को पूरा मुआवज़ा मिला। बाद में उस तहसील में हर मुआवज़ा-सूची को जारी करने से पहले ग्राम सभा में पढ़कर सुनाने की व्यवस्था शुरू हुई।

🔑 इस कहानी से सीख: गांधीवादी सत्य केवल झूठ न बोलना नहीं, बल्कि अपनी गलती को साहस से स्वीकारना और सुधारना भी है। सार्वजनिक जीवन में गलती छिपाना जनता के भरोसे को तोड़ता है, जबकि उसे स्वीकारना संस्था को और विश्वसनीय बनाता है। पारदर्शिता (सूची को ग्राम सभा में पढ़ना) इसी सत्य का संस्थागत रूप है।

3.2 गांधी के तीन प्रसिद्ध कथन — अर्थ और प्रशासनिक संदेश

कथन	गहरा अर्थ	लोक सेवा में संदेश
"स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है, दूसरों की सेवा में स्वयं को खो देना।" (गांधीजी के नाम से प्रचलित)	(1) अहंकार से ऊपर उठना — निःस्वार्थ सेवा ध्यान को अपनी इच्छाओं से हटाकर विनम्रता लाती है; (2) जीवन का उद्देश्य मिलना — दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते हुए व्यक्ति अपने भीतर छिपे कौशल और जीवन का असली उद्देश्य खोजता है; (3) परस्पर-जुड़ाव — सेवा से यह भाव जागता है कि हम एक बड़े मानव-परिवार का हिस्सा हैं; (4) आत्म-साक्षात्कार — स्वयं की सच्ची समझ केवल आत्म-चिंतन से नहीं, बल्कि दुनिया की समस्याओं से सक्रिय जुड़ाव से आती है; (5) आध्यात्मिक विकास — सेवा नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है।	लोक सेवक के लिए सेवा ही आत्म-संतोष का सबसे बड़ा स्रोत है; पद नहीं, सेवा पहचान बने।
"क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु हैं।"	सहिष्णुता का अर्थ है — उन विचारों, आस्थाओं और व्यवहारों को स्वीकारने और उनका सम्मान करने की क्षमता, जो हमारे अपने विचारों से अलग या विपरीत हों। क्रोध और असहिष्णुता मन पर पर्दा डाल देते हैं, जिससे हम सामने वाले की बात सही ढंग से समझ ही नहीं पाते।	बहुसांस्कृतिक समाज में सहिष्णुता सामंजस्यपूर्ण शासन, समावेश, शांति और सामाजिक एकता सुनिश्चित करती है।
"कमज़ोर कभी क्षमा नहीं कर सकते; क्षमा करना बलवान का गुण है।"	(1) आंतरिक शक्ति — सच्ची क्षमा के लिए अहंकार, क्रोध और बदले की भावना पर विजय पानी पड़ती है, जिसके लिए अपार नैतिक साहस चाहिए; (2) कड़वाहट से मुक्ति — मन में द्वेष रखना व्यक्ति को गुलाम बनाता है, जबकि क्षमा उसे मुक्त करती है। गांधी की नैतिकता आंतरिक शक्ति, नैतिक साहस और प्रेम तथा आत्म-पीड़न (स्वयं कष्ट सहकर विरोधी का हृदय बदलना) की परिवर्तनकारी शक्ति पर टिकी थी।	आलोचना या व्यक्तिगत अपमान के बाद भी निर्णय में बदले की भावना न आने देना।

4. नव-वेदांती दर्शन (Neo-Vedantic Philosophy)

नव-वेदांत (Neo-Vedanta) से आशय प्राचीन वेदांत दर्शन की उस नई व्याख्या से है, जो 19वीं-20वीं सदी में स्वामी विवेकानंद और गांधीजी जैसे चिंतकों ने की — इसमें आध्यात्मिकता को संसार से भागने के बजाय समाज-सेवा से जोड़ा गया। गांधीजी ने वेदांत के 'द्वैत' (ईश्वर और जगत अलग-अलग) और 'अद्वैत' (ईश्वर और जगत एक ही) — दोनों विचारधाराओं का समन्वय किया। उनके अनुसार ब्रह्म जितना सत्य है, यह संसार भी उतना ही सत्य है — इसीलिए संसार की समस्याओं (गरीबी, भूख, असमानता) को सुलझाना भी उतना ही ज़रूरी आध्यात्मिक कार्य है, जितना ईश्वर की खोज।

आसान परिभाषा: दरिद्र नारायण की सेवा (Daridra Narayan)

 **परिभाषा:** गांधीजी का यह विचार कि सबसे गरीब और वंचित व्यक्ति में ही ईश्वर का वास है — इसलिए गरीबों की सेवा करना, ईश्वर की सेवा करने के बराबर है।

 **आसान भाषा में:** जैसे कोई मंदिर में पूजा करने से पहले घर के बाहर बैठे भूखे व्यक्ति को खाना खिला दे — गांधीजी के अनुसार यही असली पूजा है, क्योंकि 'भूखे पेट भगवान का भजन नहीं हो सकता'।  **उदाहरण:** प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), मनरेगा (MGNREGA), तथा राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना — ये सभी योजनाएँ आधुनिक प्रशासन में 'दरिद्र नारायण की सेवा' के व्यावहारिक रूप हैं।

◆ अनेकांतवाद (जैन दर्शन से प्रभावित) का असर — गांधीजी हमेशा दूसरे के विचार में भी सत्य का कोई अंश खोजने की कोशिश करते थे, इसलिए वे किसी को भी पूरी तरह 'गलत' नहीं मानते थे।

दरिद्र नारायण और "जीव सेवा ही शिव सेवा": गांधीजी का दरिद्र नारायण का विचार स्वामी विवेकानंद के सूत्र "जीव सेवा ही शिव सेवा" से गहराई से मेल खाता है। इसी तरह गीता का सार निःस्वार्थ कर्म है और गांधी का सार स्व-शासन — यानी व्यक्ति का अपने मन और इच्छाओं पर स्वयं नियंत्रण। इन सभी दर्शनों का सार एक ही है — मनुष्य केवल स्वार्थी प्राणी नहीं, वह दूसरों के हित में भी कर्म कर सकता है। इसीलिए दोनों के निष्कर्ष अलग हैं — 17वीं सदी के अंग्रेज़ दार्शनिक थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes) मनुष्य को स्वभाव से स्वार्थी मानते थे, इसलिए उनका मत था कि "मज़बूत सरकार ही सबसे अच्छी सरकार है", जो डंडे के बल पर लोगों को काबू में रखे; वहीं गांधी का मत था कि "सबसे कम शासन करने वाली सरकार ही सबसे अच्छी सरकार है" — क्योंकि नैतिक रूप से जागरूक नागरिक स्वयं पर शासन कर सकते हैं।

◆ गांधीजी धार्मिक बहुलवाद (Religious Pluralism) में विश्वास करते थे — यानी यह मानना कि सभी धर्म अलग-अलग रास्तों से एक ही सत्य तक पहुँचते हैं, जैसे अलग-अलग नदियाँ अंत में एक ही सागर में मिलती हैं। इसलिए किसी धर्म को ऊँचा या नीचा मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह विचार 'अनेकता में एकता' के भारतीय विचार से मेल खाता है।

नव-वेदांत — गांधी के आध्यात्मिक सूत्र

गांधी का नव-वेदांत

द्वैत-अद्वैत समन्वय

ब्रह्म भी सत्य, संसार भी सत्य

दरिद्र नारायण

गरीब की सेवा = ईश्वर की सेवा

अनेकांतवाद

हर विचार में सत्य का अंश

सर्वधर्म समभाव

सब धर्म एक सत्य के रास्ते

चित्र 5.6: नव-वेदांत — गांधी के आध्यात्मिक सूत्र

4.1 सर्वधर्म समभाव और सांप्रदायिक सद्भाव

गांधीजी के लिए सांप्रदायिक सद्भाव केवल कहने की बात नहीं, बल्कि एक अटूट बंधन था, जो सभी धर्मों के प्रति समान आदर पर टिका हो। वे कहते थे कि हर व्यक्ति को दूसरे धर्मों के प्रति वैसा ही आदर रखना चाहिए, जैसा अपने धर्म के प्रति — इससे धार्मिक दरारें मिटेंगी और धर्म समाज को जोड़ने वाली शक्ति बनेगा, तोड़ने वाली नहीं। उनके रचनात्मक कार्यक्रम (समाज-सुधार के ठोस कामों की वह सूची, जिसे खंड 10 में विस्तार से समझाया गया है) में सांप्रदायिक एकता को पहला स्थान दिया गया था। वे धैर्य, अनुनय और दृढ़ता (Patience, Persuasion, Perseverance) के रास्ते से सद्भाव लाने में विश्वास करते थे।

प्रशासनिक अर्थ: एक जिला प्रशासन के लिए सर्वधर्म समभाव का अर्थ है — सभी धार्मिक आयोजनों के लिए एक-सी अनुमति-प्रक्रिया, शांति-समितियों में हर समुदाय का प्रतिनिधित्व, अफवाहों पर तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई, और किसी भी समुदाय के प्रति न तो विशेष कृपा, न विशेष कठोरता।

"भूखे पेट भगवान का भजन नहीं हो सकता" — इस पंक्ति का वास्तविक अर्थ तब खुलता है, जब इसे किसी कल्याणकारी योजना (जैसे इंदिरा रसोई, मनरेगा) से जोड़कर देखा जाए; यानी गरीब की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक सेवा है।

5. एकादश व्रत — ग्यारह व्रत (Ekadash Vrat)

गांधीजी ने अपने आश्रम (साबरमती व सेवाग्राम) में रहने वालों के लिए 11 व्रतों की एक आचार-संहिता बनाई थी, जिसका पालन हर आश्रमवासी को करना होता था। ये 11 व्रत जैन धर्म के पाँच महाव्रतों की नींव पर खड़े हैं, जिनमें गांधीजी ने अपनी ओर से 6 और व्रत जोड़े।

आसान परिभाषा: एकादश व्रत (Ekadash Vrat)

परिभाषा: गांधीजी द्वारा अपने आश्रम-जीवन के लिए तय की गई 11 आचार-प्रतिज्ञाएँ — 5 व्यक्तिगत महाव्रत (जैन परंपरा से) + 3 'S' (Sharira Shrama, Swadeshi, Sarva Dharma Sambhava) + 3 'A' (Asvada, Abhaya, Asprishyata Nivaran)।

आसान भाषा में: जैसे किसी स्कूल में विद्यार्थियों के लिए एक 'आचार-नियमावली' होती है जिसका पालन हर विद्यार्थी को करना होता है — ठीक वैसे ही गांधी-आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए ये 11 व्रत अनिवार्य आचार-संहिता थे। **उदाहरण:** स्मरण-सूत्र: पहले 5 महाव्रत (सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह) + 3S (शारीरिक श्रम, स्वदेशी, सर्वधर्म समभाव) + 3A (अस्वाद, अभय, अस्पृश्यता निवारण) = कुल 11 व्रत। रोज़मर्रा में इसे ऐसे समझें — जो अधिकारी सच बोलता है (सत्य), रिश्तत नहीं लेता (अस्तेय), ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति नहीं जोड़ता (अपरिग्रह), अपना काम खुद करने में शर्म नहीं करता (शरीर-श्रम) और दबाव से नहीं डरता (अभय), वह आज भी इन्हीं व्रतों को जी रहा है।

New India Education by Omkar Sir

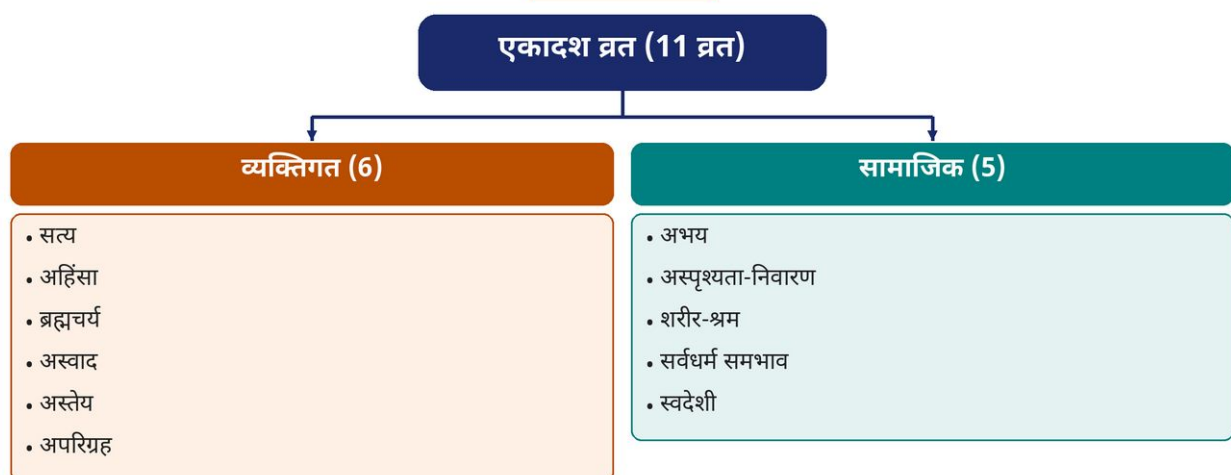
5.1 एकादश व्रत — पूर्ण तालिका (6 व्यक्तिगत + 5 सामाजिक)

एकादश व्रतों का स्रोत — पंच महाव्रत: गांधीजी के व्रतों की जड़ें भारतीय परंपरा, विशेषकर जैन धर्म के पाँच महाव्रतों में हैं — अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (अनावश्यक संग्रह न करना)। जैन परंपरा में अहिंसा का पालन मन, वचन और शरीर — तीनों से करना होता है; गांधीजी ने इसी को अपनी अहिंसा का आधार बनाया। इन पाँच के साथ उन्होंने छह और व्रत जोड़े — अस्वाद, अभय, अस्पृश्यता-निवारण, शरीर-श्रम, सर्वधर्म समभाव और स्वदेशी — जो उनके सामाजिक दर्शन को दर्शाते हैं।

क्र.	व्रत	प्रकार	विस्तृत विवरण	प्रशासनिक उपयोग
1	सत्य (Satya)	व्यक्तिगत	विचार, वाणी और कर्म — तीनों में सत्य। "सत्य ही ईश्वर है" — नास्तिक व्यक्ति भी सत्य में विश्वास कर सकता है। अंतरात्मा की आवाज़ ही सत्य की आवाज़ है।	ईमानदार रिपोर्टिंग, डेटा में हेरफेर न करना, व्हिसलब्लोइंग (जैसे सत्येन्द्र दुबे — स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना में भ्रष्टाचार उजागर करने वाले इंजीनियर, जिनकी 2003 में हत्या हुई)।
2	अहिंसा (Ahimsa)	व्यक्तिगत	नकारात्मक अर्थ: मन-वचन-कर्म से किसी को कष्ट न देना। सकारात्मक अर्थ: सभी जीवों से प्रेम, दया, करुणा। "कायर होने से हिंसक होना बेहतर है।" (यानी डर के मारे अन्याय सह लेना अहिंसा नहीं है)	पुलिस हिरासत में यातना (Custodial Torture) पर पूर्ण रोक, भीड़-हिंसा (Mob Lynching) रोकना, पुनर्वास कार्यक्रम।

क्र.	व्रत	प्रकार	विस्तृत विवरण	प्रशासनिक उपयोग
3	अस्तेय (Asteya)	व्यक्तिगत	केवल भौतिक चोरी नहीं, मानसिक चोरी (किसी का श्रेय छीनना) भी वर्जित। ज़रूरत से अधिक संपत्ति रखना भी एक तरह की चोरी है — यही ट्रस्टीशिप का आधार भी है।	भ्रष्टाचार-विरोध, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग (Misappropriation) पर रोक।
4	अपरिग्रह (Aparigraha)	व्यक्तिगत	सीमित संग्रहण — बिना श्रम किए कुछ भी प्राप्त न करना। अतिरिक्त धन को व्यक्तिगत नहीं, समाज की धरोहर मानना।	आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के विरुद्ध कार्रवाई; सिविल सेवकों में सादा जीवन की भावना।
5	ब्रह्मचर्य (Brahmacharya)	व्यक्तिगत	व्यापक अर्थ में — "ब्रह्म की ओर बढ़ना", यानी सभी इंद्रियों और भावनाओं पर कठोर आत्म-नियंत्रण, सिर्फ संकुचित यौन-अर्थ नहीं।	कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न की रोकथाम (POSH अधिनियम, 2013), भावनात्मक संयम।
6	अस्वाद (Asvada)	व्यक्तिगत	जीभ के स्वाद पर नियंत्रण — भोजन को स्वाद का साधन नहीं, बल्कि शरीर को जीवित रखने की 'दवा' मानना। सात्विक भोजन पर बल।	संयम (Temperance) — एक अधिकारी की सादगी; डॉ. कलाम का राष्ट्रपति भवन में भी सादा भोजन लेना इसका जाना-पहचाना उदाहरण है।
7	शारीरिक श्रम (Bread Labour)	सामाजिक	जॉन रस्किन व टॉल्स्टॉय से प्रेरित विचार — बौद्धिक कार्य करने वाला व्यक्ति भी नियमित रूप से कुछ शारीरिक श्रम (जैसे चरखा चलाना) करे।	मनरेगा (MGNREGA) — श्रम की गरिमा (Dignity of Labour); स्किल इंडिया — हर तरह का काम सम्माननीय है, यह भावना।
8	स्वदेशी (Swadeshi)	सामाजिक	अपने आस-पास और अपने देश में बनी वस्तुओं का प्राथमिकता से उपयोग करना।	मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा।
9	अभय (Abhaya)	सामाजिक	निडरता — मृत्यु, गरीबी और सत्ता के भय से पूरी तरह मुक्ति। सत्य के साधक के लिए यह अनिवार्य गुण है।	राजनीतिक दबाव में झुके बिना कर्तव्य-निर्वहन — आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल (अवैध रेत-खनन के विरुद्ध कार्रवाई, 2013) तथा आईपीएस मृदुल कच्छावा जैसे अधिकारियों का साहस।
10	अस्पृश्यता निवारण (Asprishyata Nivaran)	सामाजिक	छुआछूत का पूर्ण विरोध। वर्ष 1932 में गांधीजी ने 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना कर इस दिशा में ठोस कदम उठाया।	संविधान का अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन); नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (मूल नाम: अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 — वर्ष 1976 में नाम बदला गया)।
11	सर्वधर्म समभाव (Sarva Dharma Sambhava)	सामाजिक	सभी धर्मों के प्रति समान आदर — यह सिर्फ 'सहनशीलता' (Tolerance) से भी आगे की, सकारात्मक भावना है।	सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना (संविधान का अनुच्छेद 25-28); अंतर-धार्मिक संवाद (Interfaith Dialogue) को बढ़ावा।

एकादश व्रत — 6 व्यक्तिगत + 5 सामाजिक



चित्र 5.7: एकादश व्रत — 6 व्यक्तिगत + 5 सामाजिक

5.2 अहिंसा के दो पहलू — नकारात्मक बनाम सकारात्मक अर्थ

अहिंसा — नकारात्मक अर्थ (Negative)	अहिंसा — सकारात्मक अर्थ (Positive)
◆ मन, वचन और कर्म — तीनों से किसी को भी कष्ट न पहुँचाना।	◆ सभी जीवों के प्रति सक्रिय प्रेम, दया, करुणा और सहानुभूति रखना।
◆ "आँख के बदले आँख लेने की नीति पूरी दुनिया को अंधा बना देगी" — गांधीजी के नाम से प्रचलित कथन (इसका प्रामाणिक लिखित स्रोत नहीं मिलता)।	◆ अन्याय व उत्पीड़न के विरुद्ध सक्रिय (पर अहिंसक) प्रतिरोध करना — निष्क्रियता नहीं।
◆ कायरता से बचना — अहिंसा कायरता का नाम नहीं है, बल्कि निडर व्यक्ति का सचेत चुनाव है।	◆ गांधीजी के अनुसार अहिंसा ही सत्य तक पहुँचने का एकमात्र भरोसेमंद साधन है।

अहिंसा — नकारात्मक और सकारात्मक अर्थ

नकारात्मक (न करना)	बनाम	सकारात्मक (करना)
किसी को कष्ट न देना	मूल भाव	सबके प्रति प्रेम और करुणा
मन, वचन, कर्म से हिंसा नहीं	स्तर	सक्रिय सेवा और सहायता
प्रतिशोध नहीं	विरोधी पर	हृदय-परिवर्तन का प्रयास
बल-प्रयोग से बचना	प्रशासन में	संवाद, संवेदनशीलता, सेवा

चित्र 5.8: अहिंसा — नकारात्मक और सकारात्मक अर्थ

5.3 अहिंसा — वीरों का धर्म, कायरों का नहीं

गांधीजी बार-बार ज़ोर देते थे कि **अहिंसा निष्क्रियता का सिद्धांत नहीं है**, और न ही यह कमज़ोरों या डरपोकों का हथियार है। अहिंसा का अर्थ बुराई को चुपचाप स्वीकार कर लेना नहीं, बल्कि बिना हिंसा के उसका डटकर विरोध करना है। अहिंसा के सक्रिय रूप में **सत्य और निभयता** दोनों शामिल हैं — इसीलिए अहिंसा की पहली शर्त है अभय। गांधीजी को डर था कि कहीं लोग अहिंसा को अन्याय से टकराव टालने का सुविधाजनक बहाना न बना लें, इसलिए उन्होंने यहाँ तक कहा:

“जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच ही चुनाव करना हो, वहाँ मैं हिंसा की सलाह दूँगा। (Where there is only a choice between cowardice and violence, I would advise violence.)” — महात्मा गांधी, "द डॉक्ट्रिन ऑफ़ द स्वीड", यंग इंडिया, 1920

प्रशासनिक अर्थ: अहिंसक प्रशासन का अर्थ कमज़ोर प्रशासन नहीं है। क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दृढ़ता ज़रूरी है, पर बल-प्रयोग **अंतिम विकल्प** होना चाहिए, न्यूनतम और आनुपातिक होना चाहिए, और उससे पहले संवाद व समझाइश के सभी रास्ते आजमाए जाने चाहिए।

5.4 अहिंसा का विस्तृत अर्थ — पर्यावरण, न्याय और राज्य

◆ **पर्यावरण के प्रति अहिंसा:** जहाँ तक संभव हो, जीवों और उनके पर्यावरण को हानि से बचाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही अहिंसा है।

पारिस्थितिकी-तंत्र की अखंडता का सम्मान करना, और प्रदूषण, दुरुपयोग तथा अत्यधिक दोहन जैसे विनाशकारी प्रभावों से उसे बचाना — यही अहिंसा की भावना है, जिसे गांधी ने विकसित किया।

◆ **न्याय में अहिंसा:** न्याय का उद्देश्य संघर्ष को सुलझाना और घटाना है, और इसका मार्गदर्शक सिद्धांत है **देखभाल और अहिंसा — यानी बल का केवल न्यूनतम आवश्यक प्रयोग**। वैदिक अर्थ में अहिंसा सार्वभौमिक है — सभी जीवों के प्रति सम्मान।

◆ **राज्य-नीति में अहिंसा:** गांधी का विश्वास था कि **अहिंसा की नैतिक नींव पर बना राष्ट्र** भीतर और बाहर से अपनी अखंडता पर होने वाले हमलों का सामना कर सकता है। गांधी ने युद्धों और विनाश से थकी दुनिया को दिखाया कि सत्य और अहिंसा केवल व्यक्तिगत व्यवहार के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक मामलों में भी लागू हो सकते हैं — इसका प्राचीन उदाहरण सम्राट अशोक का धम्म है — कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात के बाद अशोक ने युद्ध से विजय (भेरीघोष) छोड़कर धर्म से विजय (धम्मघोष) की नीति अपनाई और जनता के कल्याण को राज्य का लक्ष्य बनाया।

एकादश व्रतों को **6 व्यक्तिगत + 5 सामाजिक** के बँटवारे में समझना सबसे सरल है। हर व्रत को उसके प्रशासनिक उदाहरण के साथ समझने से यह स्पष्ट होता है कि ये व्रत केवल आश्रम-जीवन के नियम नहीं, बल्कि आज के लोक सेवक की आचार संहिता भी हैं।

6. सत्याग्रह — सत्य की शक्ति (Satyagraha)

सत्याग्रह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है — 'सत्य' + 'आग्रह' (सत्य पर दृढ़ता से टिके रहना)। गांधीजी ने वर्ष 1906 में दक्षिण अफ्रीका में इसे व्यावहारिक रूप दिया, जहाँ भारतीय मूल के लोगों के विरुद्ध नस्लीय भेदभाव के खिलाफ उन्होंने इसका पहला प्रयोग किया। शुरुआत में इसे 'निष्क्रिय

प्रतिरोध' (Passive Resistance) कहा गया, पर गांधीजी को यह नाम पसंद नहीं आया — उनके अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय नहीं, बल्कि सक्रिय, साहसिक और प्रेम-आधारित प्रतिरोध है।

आसान परिभाषा: सत्याग्रह (Satyagraha)

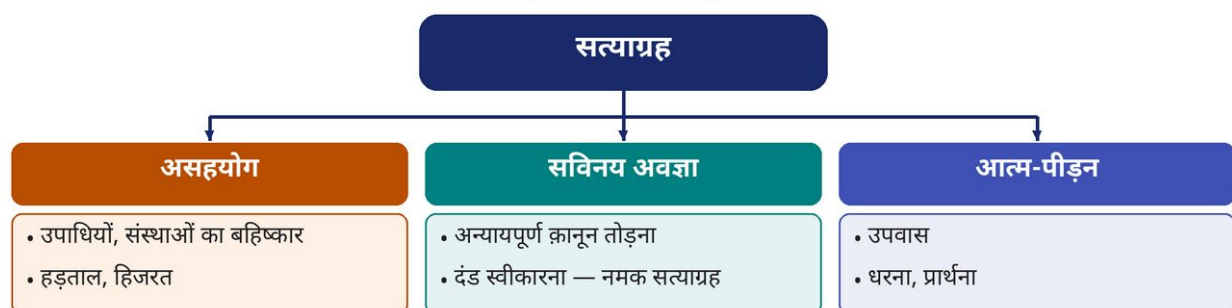
परिभाषा: सत्य और अहिंसा पर आधारित एक सक्रिय प्रतिरोध की पद्धति, जिसमें अन्याय का विरोध बिना हिंसा के, पर पूरी दृढ़ता और साहस के साथ किया जाता है।

आसान भाषा में: जैसे कोई बच्चा किसी गलत आदेश को मानने से विनम्रता से मना कर दे और उसका परिणाम (जैसे सज़ा) भी स्वीकार कर ले, पर गलत काम न करे — यही सत्याग्रह की भावना है: विरोध भी, पर बिना हिंसा और बिना डर के। **उदाहरण:** किसी सरकारी दफ्तर के कर्मचारी का राजनीतिक दबाव के बावजूद किसी गलत आदेश को मानने से इनकार करना, और उसके नतीजे (जैसे तबादला) को शांति से स्वीकार करना — यह एक तरह का 'प्रशासनिक सत्याग्रह' कहा जा सकता है।

6.1 सत्याग्रह की प्रमुख तकनीकें

तकनीक	विवरण	भारत में उदाहरण
असहयोग (Non-Cooperation)	ब्रिटिश संस्थाओं, उपाधियों और वस्तुओं का सुनियोजित बहिष्कार।	असहयोग आंदोलन, 1920-22।
सविनय अवज्ञा (Civil Disobedience)	अन्यायपूर्ण कानूनों को खुले तौर पर, जानबूझकर तोड़ना और उसका परिणाम भुगतने को तैयार रहना।	दांडी मार्च, 1930 — नमक कानून तोड़ा गया।
उपवास (Fast)	अपने या दूसरों पर नैतिक दबाव डालने के लिए आत्म-शुद्धि के रूप में उपवास।	वर्ष 1932 — पूना पैक्ट से पहले यरवदा जेल में किया गया उपवास (दलितों के पृथक निर्वाचन के विरोध में)।
हड़ताल (Hartal)	सामूहिक व शांतिपूर्ण बंद, विरोध जताने के लिए।	रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल, 1919।
हिजरत (Hijrat)	अत्याचारी क्षेत्र को स्वेच्छा से छोड़ देना, ताकि अन्याय में भागीदार न बनना पड़े।	बारडोली सत्याग्रह (1928) व सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930) के दौरान किसानों का बड़ीदा रियासत में पलायन।
धरना/Picketing	बहिष्कार के समर्थन में शांतिपूर्ण धरना देना।	विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना।

सत्याग्रह की तकनीकें



चित्र 5.9: सत्याग्रह की तकनीकें

सत्याग्रही की आवश्यक शर्तें: 1. सत्य पर दृढ़ विश्वास | 2. हर परिस्थिति में अहिंसा | 3. भय से पूर्ण मुक्ति (अभय) | 4. पीड़ा सहन करने की क्षमता | 5. विरोधी पक्ष में भी अच्छाई देखने की दृष्टि। गांधीजी के विचारों से जुड़ा प्रचलित कथन है — "कमजोर का सत्याग्रह कायरता है, सशक्त का सत्याग्रह साहस है" (Satyagraha of the weak is cowardice, of the strong is courage)।

6.2 सत्याग्रही की आचार-संहिता — गांधीजी के निर्देश

गांधीजी ने अपने आंदोलनों में भाग लेने वाले सत्याग्रहियों के लिए स्पष्ट आचार-संहिता बनाई थी। इसे पढ़कर समझ आता है कि सत्याग्रह कितना अनुशासित और नैतिक रूप से कठोर मार्ग था:

क्र.	सत्याग्रही का आचरण	इसका नैतिक अर्थ
1	मन में क्रोध नहीं रखेगा, विरोधी का क्रोध सहेगा	भावनात्मक संयम
2	मार भी सहेगा पर पलटकर वार नहीं करेगा; पर दंड के डर से, क्रोध में दिए गए किसी आदेश के आगे झुकेगा भी नहीं	अहिंसा के साथ दृढ़ता
3	गिरफ्तारी के समय स्वेच्छा से गिरफ्तारी देगा, संपत्ति की कुर्की का विरोध नहीं करेगा	कानून के दंड का सम्मान
4	जिस संपत्ति का वह ट्रस्टी है, उसे जान देकर भी नहीं सौंपेगा, पर बदला नहीं लेगा	अमानत की रक्षा

क्र.	सत्याग्रही का आचरण	इसका नैतिक अर्थ
5	गाली-गलौज और अपशब्द नहीं; विरोधी का अपमान नहीं करेगा	वाणी की अहिंसा
6	यदि कोई किसी अधिकारी का अपमान करे या उस पर हमला करे, तो सत्याग्रही अपनी जान जोखिम में डालकर भी उस अधिकारी की रक्षा करेगा	विरोधी के प्रति भी करुणा

सत्याग्रह कैसे काम करता है



चित्र 5.10: सत्याग्रह कैसे काम करता है

☀ प्रशासन में सत्याग्रह की आधुनिक झलक

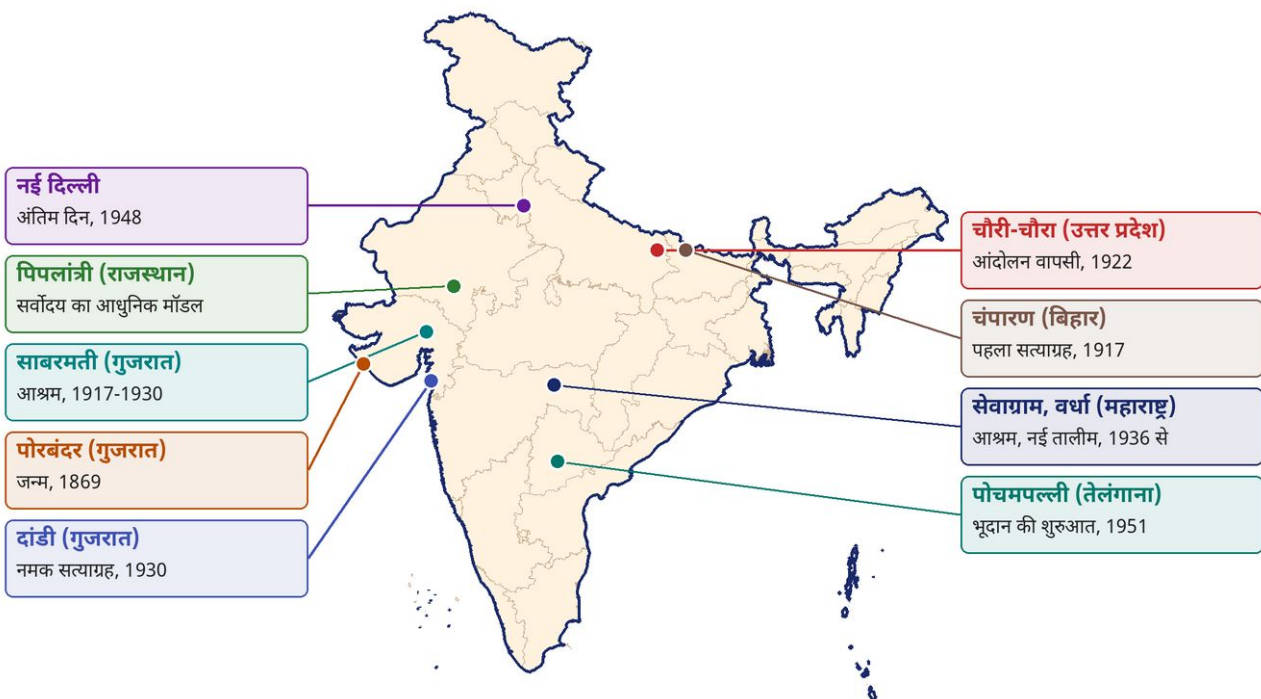
सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005) को कई विद्वान 'सूचना का सत्याग्रह' कहते हैं — क्योंकि यह भी सत्य (सही जानकारी) पाने के लिए, बिना किसी हिंसा या दबाव के, सिर्फ कानूनी और नैतिक अधिकार के बल पर संघर्ष करने का एक औज़ार है। इसी तरह, कोई भी ईमानदार व्हिसलब्लोअर अधिकारी, जो राजनीतिक-प्रशासनिक दबाव के बावजूद सच बोलना नहीं छोड़ता, वह भी एक तरह का आधुनिक सत्याग्रही ही है।

☀ चंपारण, 1917 — भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग

बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसान अंग्रेज़ बागान-मालिकों की "तिनकठिया" प्रथा से पीड़ित थे, जिसमें उन्हें अपनी ज़मीन के हर बीघे (20 कठे) में से 3 कठे पर ज़बरन नील उगानी पड़ती थी — इसीलिए इसे 'तिनकठिया' (तीन कट्टा) कहा जाता था। किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधीजी 1917 में चंपारण पहुँचे। ज़िला प्रशासन ने उन्हें ज़िला छोड़ने का आदेश दिया; गांधीजी ने विनम्रता से आदेश मानने से इनकार किया और अदालत में कहा कि वे दंड भुगतने को तैयार हैं।

उन्होंने कोई भाषणबाज़ी नहीं की — हज़ारों किसानों के लिखित बयान दर्ज करवाए, तथ्य जुटाए और सरकार के सामने रखे। अंततः सरकार को जाँच समिति बनानी पड़ी, जिसमें गांधीजी भी सदस्य थे, और तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई। चंपारण सिखाता है कि सत्याग्रह का पहला हथियार तथ्य और सत्य है, और दूसरा — दंड स्वीकारने का नैतिक साहस।।

गांधी की कर्मभूमि — भारत-मानचित्र पर प्रमुख स्थल



मानचित्र केवल प्रतीकात्मक है — स्थान लगभग दर्शाए गए हैं

चित्र 5.11: गांधी की कर्मभूमि — भारत-मानचित्र पर प्रमुख स्थल

कहानी: "धरने पर बैठे किसान" — प्रशासन के सामने सत्याग्रह

हुमानगढ़ ज़िले में नहर के अंतिम छोर (टेल) के गाँवों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुँच रहा था। नाराज़ होकर लगभग तीन सौ किसान उपखंड कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए। वे नारे नहीं लगा रहे थे — बस भजन गा रहे थे और बारी-बारी से उपवास कर रहे थे। तीसरे दिन ऊपर से निर्देश आया — "धरना लंबा खिंच रहा है, कार्यालय का रास्ता रुका है, धारा 163 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता — पुरानी CrPC की धारा 144 जैसी निषेधाज्ञा, जिसमें लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई जाती है) लगाकर धरना हटवाइए।"

उपखंड अधिकारी प्रियंका (काल्पनिक नाम) के सामने दुविधा थी। आदेश का पालन आसान था, पुलिस बल तैयार था। पर उन्होंने देखा कि यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक है, किसानों की माँग तथ्यात्मक रूप से सही लगती है, और बल-प्रयोग से एक शांत आंदोलन हिंसक बन सकता है। उन्हें याद आया कि सत्याग्रह विरोधी का हृदय बदलना चाहता है — तो क्या प्रशासन भी सत्याग्रही का हृदय समझने का प्रयास नहीं कर सकता?

उन्होंने उच्च अधिकारियों को लिखित रिपोर्ट भेजी कि आंदोलन शांतिपूर्ण है और बल-प्रयोग की ज़रूरत नहीं; कार्यालय का एक वैकल्पिक रास्ता खुलवाया; और स्वयं धरना-स्थल पर जाकर किसानों के साथ ज़मीन पर बैठीं। फिर उन्होंने किसानों के ही दो प्रतिनिधियों के साथ जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को लेकर पूरी नहर का संयुक्त निरीक्षण किया। जाँच में सामने आया कि ऊपर के कुछ हिस्सों में अवैध मोघे (आउटलेट) लगाकर पानी चुराया जा रहा था।

अगले ही हफ्ते अवैध मोघे हटाए गए, बाराबंदी (पानी की बारी) की नई सूची ग्राम सभा में पढ़कर सुनाई गई, और हर गाँव में किसानों की एक निगरानी-समिति बनी। धरना पाँचवें दिन किसानों ने स्वयं समाप्त किया — प्रियंका को गुड़ खिलाकर। एक बुजुर्ग किसान ने कहा — "हम सरकार से लड़ने नहीं आए थे, बस सुनवाई चाहते थे।"

इस कहानी से सीख: शांतिपूर्ण विरोध (सत्याग्रह) लोकतंत्र का वैध अधिकार है। प्रशासन का काम उसे दबाना नहीं, बल्कि उसकी वैध माँग को सुनना है। संवाद, संयुक्त निरीक्षण, तथ्यों की पारदर्शिता और जन-भागीदारी — ये ही गांधीवादी प्रशासन के औज़ार हैं; बल-प्रयोग केवल अंतिम और आनुपातिक विकल्प है।

6.3 अन्यायपूर्ण क़ानून, सविनय अवज्ञा और आज का लोक सेवक

गांधीजी ने कहा था — "अन्यायपूर्ण क़ानून अपने आप में हिंसा का ही एक रूप है।" इसीलिए उन्होंने अन्यायपूर्ण क़ानूनों को खुलेआम तोड़ने और उसका दंड स्वीकारने (सविनय अवज्ञा) का समर्थन किया। यूनानी दार्शनिक सुक्रात भी "सत्ता के सामने सच बोलने" के पक्षधर थे। पर इसके साथ गांधीजी यह भी कहते थे कि "अच्छी तरह निभाया गया कर्तव्य अपने आप एक अधिकार पैदा करता है" — यानी अधिकार की माँग से पहले कर्तव्य-पालन।

एक आधुनिक दुविधा — व्हिसलब्लोइंग (Whistleblowing): अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी के एक पूर्व कर्मचारी एडवर्ड स्नोडेन (Edward Snowden) ने 2013 में सरकार के गुप्त निगरानी-कार्यक्रमों से जुड़े दस्तावेज़ प्रेस को दे दिए। अमेरिकी सरकार के अनुसार यह जासूसी-विरोधी क़ानून का उल्लंघन और देशद्रोह था; स्नोडेन का तर्क था कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके नाम पर और उसके विरुद्ध क्या किया जा रहा है। **एक पक्ष** कहता है कि उन्होंने अपने संगठन के प्रति निष्ठा, अनुबंध और राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन किया। **दूसरा पक्ष** गांधी के "अन्यायपूर्ण क़ानून" वाले विचार, सामाजिक अनुबंध (Social Contract — यह विचार कि सरकार की शक्ति जनता की सहमति से आती है, इसलिए जनता की सहमति के बिना उसकी गुप्त निगरानी इस अनुबंध का उल्लंघन है), सुक्रात के "सत्ता से सच कहने" और जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट के "स्वयं पर नैतिक नियम लागू करने" (यानी व्यक्ति वही करे जिसे उसकी अपनी विवेक-बुद्धि सही माने) के आधार पर उन्हें उचित ठहराता है।

भारतीय लोक सेवक के लिए मार्ग: सविनय अवज्ञा एक नागरिक का नैतिक अधिकार है, पर एक लोक सेवक संविधान और सेवा-नियमों की शपथ से बँधा है। इसलिए किसी अनियमितता या भ्रष्टाचार की जानकारी होने पर उसके लिए गांधीवादी मार्ग है — सत्य पर टिके रहना, पर वैधानिक रास्ते अपनाना: लिखित आपत्ति दर्ज करना, सतर्कता तंत्र को सूचित करना, और **व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014** जैसे क़ानूनी माध्यमों का उपयोग करना। सत्य का आग्रह और प्रक्रिया का सम्मान — दोनों साथ चलें, यही आज का सत्याग्रह है।

सत्याग्रह को उसकी तकनीकों (सविनय अवज्ञा, असहयोग, उपवास) और उनके ऐतिहासिक उदाहरणों के साथ समझना ज़रूरी है। आधुनिक प्रशासन में सूचना का अधिकार (RTI) और व्हिसलब्लोइंग (भ्रष्टाचार का खुलासा) जैसी अवधारणाएँ सत्याग्रह की भावना का ही आधुनिक रूप मानी जा सकती हैं।

7. साधन और साध्य (Ends vs Means)

प्रसिद्ध कथन

"जैसा हम बोते हैं, वैसा ही हम काटते हैं।" — महात्मा गांधी के नाम से प्रचलित

गांधीजी कर्तव्यवादी (Deontologist) दार्शनिक थे — यानी ऐसे विचारक जो मानते हैं कि कोई काम सही है या गलत, यह केवल उसके परिणाम से नहीं, बल्कि काम के स्वरूप और कर्तव्य से तय होता है। उनके लिए साधन (Means — लक्ष्य पाने का तरीका) और साध्य (End — पाया जाने वाला लक्ष्य), एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका स्पष्ट मानना था कि यदि साधन अपवित्र या हिंसक है, तो उससे प्राप्त साध्य (जैसे स्वतंत्रता या न्याय) भी कभी पवित्र या स्थायी नहीं हो सकता — जैसे ज़हर के बीज से कभी अमृत का पेड़ नहीं उग सकता।

7.1 विभिन्न दार्शनिकों का साधन-साध्य पर दृष्टिकोण

दार्शनिक	साधन को महत्व?	साध्य को महत्व?	दृष्टिकोण
कार्ल मार्क्स (Karl Marx)	नहीं — क्रांति के लिए कोई भी साधन उचित है।	हाँ — वर्गविहीन समाज (साध्य) सर्वोपरि है।	परिणामवादी (Consequentialist/Teleol)

दार्शनिक	साधन को महत्व?	साध्य को महत्व?	दृष्टिकोण
जेरेमी बेन्थम / जे.एस. मिल	नहीं — परिणाम से ही नैतिकता तय होती है।	हाँ — अधिकतम लोगों का अधिकतम हित (Greater Good) ही लक्ष्य है।	उपयोगितावादी (Utilitarian/Teleologist)
इमैनुएल कांट (Kant)	हाँ — कर्तव्य/नियम ही सर्वोच्च है।	नहीं — परिणाम अप्रासंगिक हैं।	कर्तव्यवादी (Deontologist)
महात्मा गांधी	हाँ — साधन पवित्र होने चाहिए।	हाँ — साध्य भी उतना ही पवित्र होना चाहिए।	कर्तव्यवादी — दोनों की पवित्रता पर बल
सुभाष चंद्र बोस	नहीं — आज़ादी के लिए कोई भी साधन उचित है।	हाँ — भारत की आज़ादी (साध्य) सर्वोपरि है।	परिणामवादी (Consequentialist)

साधन और साध्य — गांधी बनाम परिणामवाद

गांधी	बनाम	मैकियावेली / परिणामवाद
साधन ही साध्य बनाते हैं	मूल सूत्र	साध्य साधन को उचित ठहराता है
बीज जैसा, वृक्ष वैसा	उदाहरण	सत्ता के लिए छल भी उचित
किसी भी हाल में नहीं	हिंसा पर	उपयोगी हो तो स्वीकार्य
चौरी-चौरा के बाद आंदोलन वापसी	ऐतिहासिक क्षण	लक्ष्य के लिए हर उपाय
प्रक्रिया की पवित्रता	प्रशासन में	केवल लक्ष्य-प्राप्ति

चित्र 5.12: साधन और साध्य — गांधी बनाम परिणामवाद

💡 गांधी और कांट की समानता, पर एक बड़ा फ़र्क: गांधी और कांट — दोनों कर्तव्यवादी (Deontologist) हैं, यानी दोनों नियम/कर्तव्य को महत्व देते हैं। पर फ़र्क यह है — कांट सिर्फ साधन (नियम-पालन) को महत्व देते हैं, साध्य/परिणाम को नहीं; जबकि गांधी साधन और साध्य — दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं। गांधीजी इसे बीज और पेड़ के रिश्ते से समझाते थे — जैसा बीज बोओगे, वैसा ही पेड़ मिलेगा।

7.2 लोक सेवा में साधन और साध्य — एक व्यावहारिक कसौटी

नैतिकता के प्रश्न पर दो विचार आमने-सामने हैं — एक कहता है कि **साधन सर्वोपरि** है (गांधी, कांट — कर्तव्यवाद), दूसरा कहता है कि **साध्य साधन को उचित ठहराता है** (मैकियावेली — 16वीं सदी के इटली के राजनीतिक विचारक, जिनकी पुस्तक 'द प्रिंस' सत्ता पाने के लिए छल को भी उचित मानती है; और उपयोगितावाद — दोनों परिणामवाद के उदाहरण हैं)। कुछ परिस्थितियों में, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसा लग सकता है कि अच्छा लक्ष्य (नागरिकों की रक्षा) कठोर साधनों को उचित ठहराता है।

पर संविधान से बंधे लोक सेवक के लिए **साधन सर्वोपरि** हैं। उदाहरण के लिए, किसी अपराधी को खत्म करने का लक्ष्य भले ही वांछनीय लगे, पर **फ़र्ज़ी मुठभेड़** जैसा अनैतिक साधन पूरी संस्था को भ्रष्ट कर देता है और जनता का भरोसा तोड़ देता है — यही गांधी की चेतावनी है कि अपवित्र साधन अनिवार्य रूप से अपवित्र साध्य तक ले जाते हैं। "अगर एक व्यक्ति को यातना देकर लाखों जानें बचाई जा सकें तो?" जैसे **अति-काल्पनिक उदाहरण** विचार-प्रयोग के रूप में उपयोगी हो सकते हैं, पर लोक प्रशासन में हर निर्णय की ज़मीन **संविधान की सर्वोच्चता और विधि का शासन** ही होनी चाहिए। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में न्याय, विधि के शासन और जनता के भरोसे के लिए "साधन सर्वोपरि हैं" — यही विचार अधिक उचित है।

साधन-साध्य के प्रश्न पर गांधी, मार्क्स और बोस (परिणामवादी दृष्टि) के ठीक विपरीत खड़े दिखते हैं; जबकि कांट के साथ उनकी आंशिक समानता है — दोनों कर्तव्यवादी हैं, पर गांधी साधन की पवित्रता की शर्त पर कहीं अधिक ज़ोर देते हैं।

8. गांधी के 7 सामाजिक पाप (7 Social Sins)

यह प्रसिद्ध सूची मूल रूप से गांधीजी की अपनी रचना नहीं है — इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई थी। 20 मार्च 1925 को लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी (Westminster Abbey) में फ़ादर फ़्रेडरिक लुईस डोनाल्डसन (Frederick Lewis Donaldson) ने अपने एक उपदेश (Sermon) में यह सूची पहली बार प्रस्तुत की थी। गांधीजी ने इसे 'एक मित्र' के हवाले से अपनी पत्रिका 'यंग इंडिया' (Young India) में 22 अक्टूबर 1925 को पुनः प्रकाशित किया — और तभी से यह सूची भारत में 'गांधी के 7 सामाजिक पाप' के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यह ध्यान रखना ज़रूरी है — गांधीजी इस सूची के मूल रचयिता नहीं, बल्कि इसके सबसे बड़े प्रचारक थे।

🔍 आसान परिभाषा: 7 सामाजिक पाप (7 Social Sins)

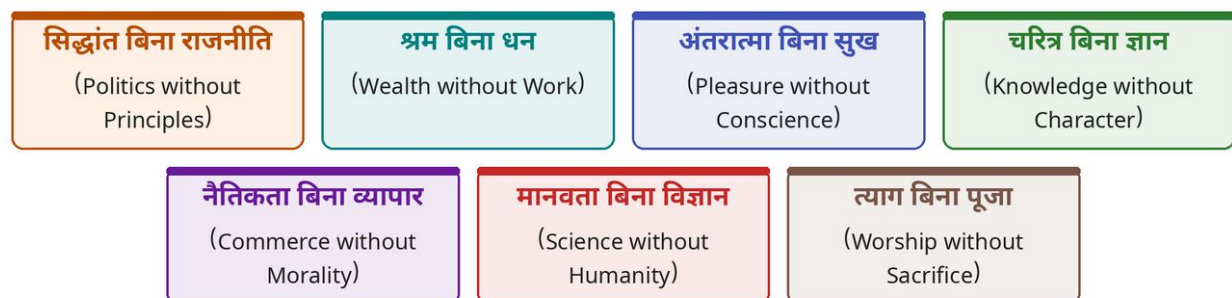
📖 **परिभाषा:** समाज और शासन-व्यवस्था को भीतर से खोखला करने वाली सात प्रवृत्तियाँ, जिनमें हर बार एक ज़रूरी 'नैतिक तत्व' गायब होता

है — जैसे बिना त्याग के धर्म, या बिना चरित्र के ज्ञान।

💡 आसान भाषा में: जैसे किसी गाड़ी में इंजन तो बढ़िया हो, पर ब्रेक ही न हो — तो वह गाड़ी फायदे की जगह खतरा बन जाती है। ठीक वैसे ही ज्ञान, विज्ञान, व्यापार जैसी अच्छी चीज़ें भी अगर उनके साथ ज़रूरी नैतिक 'ब्रेक' (चरित्र, नैतिकता, त्याग) न हों, तो वे समाज के लिए खतरनाक बन जाती हैं। **🏠 उदाहरण:** एक बहुत पढ़ा-लिखा (ज्ञानी) अधिकारी अगर चरित्रहीन होकर भ्रष्टाचार करे, तो उसका ज्ञान समाज के काम नहीं, बल्कि नुकसान के काम आता है — यही 'ज्ञान बिना चरित्र' का सामाजिक पाप है।

क्र.	सामाजिक पाप	विवरण	प्रशासनिक प्रासंगिकता
1	त्याग बिना धर्म (Worship without Sacrifice)	अंधभक्ति, लालच और स्वार्थ का त्याग किए बिना धार्मिक आचरण निरर्थक है।	साम्प्रदायिक हिंसा — जहाँ धर्म के नाम पर मानवीय मूल्यों को भुला दिया जाता है।
2	मानवता बिना विज्ञान (Science without Humanity)	विज्ञान का उपयोग मानव-कल्याण के लिए हो, विनाश के लिए नहीं।	जैव-प्रौद्योगिकी नैतिकता (Bio-ethics), परमाणु हथियार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से जुड़े नैतिक प्रश्न।
3	चरित्र बिना ज्ञान (Knowledge without Character)	चरित्रहीन व्यक्ति के हाथ में ज्ञान वैसा ही खतरनाक है जैसे किसी नशे में धुत्त व्यक्ति के हाथ में गाड़ी की चाबी।	योग्य पर भ्रष्ट अधिकारी — बड़े घोटालों (जैसे सत्यम घोटाला — कंपनी के खातों में हेराफेरी; व्यापम घोटाला — मध्य प्रदेश की भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में धाँधली) में प्रायः उच्च-शिक्षित लोग ही शामिल पाए गए।
4	नैतिकता बिना व्यापार (Commerce without Morality)	व्यापार में सभी हितधारकों (उपभोक्ता, कर्मचारी, समाज) का हित ध्यान में रखना ज़रूरी है।	फॉक्सवैगन 'डीज़लगेट' उत्सर्जन-धोखाधड़ी (2015 — प्रदूषण-जाँच को धोखा देने वाला सॉफ्टवेयर), सत्यम कंप्यूटर्स जैसे कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामले।
5	श्रम बिना धन (Wealth without Work)	जुआ, सट्टा या भ्रष्टाचार से — बिना मेहनत के कमाया गया धन एक सामाजिक पाप है।	आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के मामले, काला धन, भ्रष्टाचार।
6	सिद्धांत बिना राजनीति (Politics without Principle)	राजनीति में जवाबदेही, जनसेवा की भावना और संवैधानिक निष्ठा अनिवार्य है।	क्रोनी कैपिटलिज़्म (सत्ता से नज़दीकी के बल पर चुनिंदा उद्योगपतियों को लाभ), दलबदल और वंशवादी राजनीति (Dynastic Politics) की प्रवृत्तियाँ।
7	अंतरात्मा बिना सुख (Pleasure without Conscience)	बिना किसी ज़िम्मेदारी या पछतावे के, सिर्फ सुख भोगने की प्रवृत्ति।	सोशल मीडिया पर बिना ज़िम्मेदारी के ट्रोलिंग, नशे व जुए की बढ़ती प्रवृत्ति।

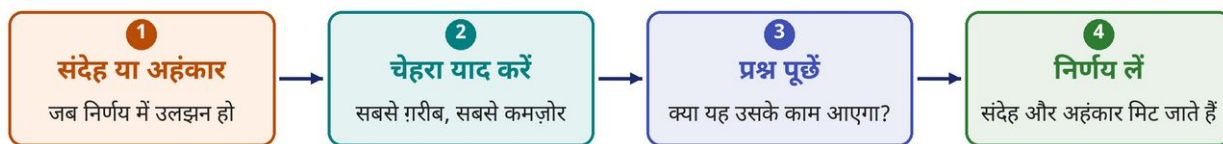
7 सामाजिक पाप — हर पाप में एक "बिना"



चित्र 5.13: 7 सामाजिक पाप — हर पाप में एक "बिना"

💡 गांधी का जंतर (Talisman): गांधीजी के जीवन के अंतिम वर्षों (लगभग 1947-48) से जुड़ा यह सुप्रसिद्ध कथन बताया जाता है — "जब भी आप संदेह में हों, या आपका अहंकार बहुत बढ़ने लगे, तो यह परीक्षण करें: उस सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा याद करें जो आपने देखा हो। फिर स्वयं से पूछें — जो कदम आप उठाने जा रहे हैं, क्या वह उस व्यक्ति के किसी काम आएगा?" यह अगस्त 1947 के गांधीजी के एक नोट के रूप में दर्ज है (प्यारेलाल की पुस्तक 'महात्मा गांधी: द लास्ट फ़्रेज़'), और यह गांधीजी के 'अंत्योदय' दर्शन का सबसे सशक्त सार माना जाता है, और प्रशासनिक निर्णय की एक बेहद प्रभावी कसौटी है।

गांधी का जंतर — निर्णय की चार सीढ़ियाँ



चित्र 5.14: गांधी का जंतर — निर्णय की चार सीढ़ियाँ

8.1 नैतिक निर्णय के ढाँचे में गांधी का जंतर

किसी नैतिक दुविधा को सुलझाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है — तथ्य जुटाना, सभी हितधारकों की पहचान, विभिन्न नैतिक दृष्टिकोणों से विकल्पों को परखना, अनुभवी लोगों से सलाह लेना, निर्णय लेना, और फिर उसे लागू करके उसके परिणामों पर विचार करना। विकल्पों को परखने के दृष्टिकोणों में **उपयोगितावादी** (अधिकतम भलाई), **कर्तव्यवादी** (नियम और कर्तव्य), **सद्गुण-आधारित** (एक सद्गुणी व्यक्ति क्या करता), **न्याय-आधारित** (प्राकृतिक न्याय और समान व्यवहार) और **अधिकार-आधारित** दृष्टिकोण आते हैं — और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में **गांधी का जंतर** एक बहुत प्रभावी साधन है।

उदाहरण: मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक सड़क दुर्घटना देखी है, जिसमें आरोपी उसका प्रभावशाली व्यावसायिक साझेदार है, और पुलिस गवाही माँग रही है। गवाही देने से उसे निजी और सामाजिक नुकसान हो सकता है। गांधी का जंतर कहता है — सबसे कमज़ोर व्यक्ति, यानी **दुर्घटना-पीड़ित** के हित में निर्णय लो। कांट का निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative — वह नैतिक नियम जो हर परिस्थिति में बिना शर्त लागू हो) कहता है — मनुष्य को केवल साधन नहीं, साध्य मानो, पीड़ित के जीवन का मूल्य समझो। अमेरिकी दार्शनिक जॉन रॉल्स का अज्ञानता का पर्दा (Veil of Ignorance — निर्णय ऐसे लो मानो तुम्हें पता ही न हो कि तुम खुद किस पक्ष में होगे) कहता है — कल मैं या मेरा परिवार भी ऐसी लापरवाही का शिकार हो सकता है। तीनों कसौटियाँ एक ही दिशा दिखाती हैं — **सत्य के साथ, क़ानून के साथ सहयोग**। इससे मन की असंगति (जो सही माना और जो किया, उनके बीच टकराव) और अंतरात्मा का संकट भी नहीं होगा।

नैतिक निर्णय की प्रक्रिया — और जंतर का स्थान



चित्र 5.15: नैतिक निर्णय की प्रक्रिया — और जंतर का स्थान

7 सामाजिक पापों का साझा सूत्र यह है कि हर पाप में एक **"बिना"** है: धर्म बिना त्याग, विज्ञान बिना मानवता, ज्ञान बिना चरित्र, व्यापार बिना नैतिकता, धन बिना श्रम, राजनीति बिना सिद्धांत, सुख बिना अंतरात्मा। ऐतिहासिक रूप से यह सूची फ़ादर डोनाल्डसन के उपदेश से आई और गांधीजी ने इसे लोकप्रिय बनाया।

9. सर्वोदय एवं ट्रस्टीशिप (Sarvodaya and Trusteeship)

गांधीजी के आर्थिक-सामाजिक दर्शन के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं — सर्वोदय और ट्रस्टीशिप। दोनों ही पूँजीवाद और साम्यवाद के बीच का एक नैतिक व अहिंसक मध्य-मार्ग सुझाते हैं — क्योंकि ये पूँजीवाद की तरह धन को केवल निजी लाभ की चीज़ नहीं मानते, और साम्यवाद की तरह बल-प्रयोग से संपत्ति छीनने की बात भी नहीं करते; बल्कि धनी व्यक्ति के हृदय-परिवर्तन से धन को समाज-हित में लगाने की बात करते हैं।

आसान परिभाषा: सर्वोदय (Sarvodaya)

परिभाषा: जॉन रस्किन की पुस्तक 'Unto This Last' से प्रेरित यह विचार — जिसका अर्थ है 'सभी का उदय' — भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक, तीनों स्तर पर।

आसान भाषा में: उपयोगितावाद (Utilitarianism) कहता है 'अधिकतम लोगों के अधिकतम हित' — यानी अगर 90 लोगों को फायदा हो और 10 को नुकसान, तो भी ठीक है। सर्वोदय इससे आगे जाकर कहता है — जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति तक भलाई न पहुँचे, तब तक असली उदय अधूरा है। **उदाहरण:** किसी गाँव में बिजली सिर्फ बड़े किसानों के खेतों तक पहुँचाने की बजाय, सबसे गरीब और दूर-दराज़ के घर तक भी पहुँचाने की योजना बनाना — यही सर्वोदय की भावना है।

सर्वोदय — उपयोगितावाद से आगे: उपयोगितावाद "अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख" की बात करता है, जिसमें बहुमत के लाभ के लिए अल्पसंख्यक से क्रीमत चुकवाई जा सकती है। गांधी ने इसे अस्वीकार किया — उनके लिए लक्ष्य **सबका कल्याण** है, किसी एक का भी बलिदान नहीं।

गांधी का दिल गरीबों, दबे-कुचलों, शोषितों और सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए धड़कता था; उनके सर्वोदय का आदर्श था — सबका सामाजिक उत्थान, आर्थिक मुक्ति और नैतिक पुनरुत्थान। गांधी का तर्क था कि सहयोग, न कि प्रतिस्पर्धा, मानव-जाति की स्वाभाविक अवस्था है — यही बात आर्थिक व्यवस्था पर भी लागू होती है। सर्वोदय का यह विचार भारतीय संस्कृति की गहरी विरासत से आया है — गीता में भी सबके कल्याण के अनेक संदर्भ हैं, और बौद्ध तथा जैन धर्म भी सार्वभौमिक प्रेम और सबके कल्याण को आधारशिला मानते हैं।

सर्वोदय का आधुनिक रूप — राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013: यह अधिनियम सर्वोदय के सिद्धांतों पर आधारित माना जाता है, क्योंकि यह जीवन-चक्र दृष्टिकोण अपनाता है (गर्भवती महिलाओं से लेकर बच्चों तक पोषण), मोटे अनाज (पोषक अनाज) को रियायती दर पर देने की बात करता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मज़बूत करता है, घर की सबसे बड़ी महिला को राशन-कार्ड में परिवार का मुखिया बनाता है, और पेयजल, स्वच्छता तथा पोषण को एक साथ जोड़ता है।

आसान परिभाषा: अंत्योदय (Antyodaya)

परिभाषा: सर्वोदय का ही एक और गहरा रूप — समाज की कतार में सबसे पीछे खड़े, सबसे अंतिम व्यक्ति के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।

आसान भाषा में: जैसे किसी परिवार में खाना बाँटते समय सबसे कमज़ोर या सबसे छोटे सदस्य को पहले खिलाया जाए, ताकि कोई भूखा न रह जाए — यही अंत्योदय की सोच है। **उदाहरण:** अंत्योदय अन्न योजना — जिसके तहत सबसे गरीब परिवारों को सबसे पहले और सबसे रियायती दर पर राशन उपलब्ध कराया जाता है।

आसान परिभाषा: ट्रस्टीशिप (Trusteeship)

परिभाषा: गांधीजी का यह विचार कि पृथ्वी की सारी संपत्ति ईश्वर/समाज की है — इसलिए धनी व्यक्ति या पूँजीपति उस संपत्ति का 'मालिक' नहीं, बल्कि सिर्फ एक 'ट्रस्टी' (संरक्षक) है, जिसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद बचा हुआ धन समाज-हित में लगाना चाहिए।

आसान भाषा में: जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल की इमारत और फंड का 'मालिक' नहीं, बल्कि सिर्फ एक ज़िम्मेदार संरक्षक (Trustee) होता है, जिसे उस संपत्ति का उपयोग बच्चों की भलाई के लिए ही करना होता है — गांधीजी चाहते थे कि हर धनी व्यक्ति खुद को समाज के लिए ऐसा ही 'ट्रस्टी' समझे। **उदाहरण:** टाटा ट्रस्ट्स और अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन जैसी संस्थाएँ, जहाँ बड़े औद्योगिक घरानों का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज-कल्याण में लगाया जाता है — यह ट्रस्टीशिप के विचार का आधुनिक व्यावहारिक रूप है।

सर्वोदय की सीढ़ी — अंतिम व्यक्ति से सबके उदय तक



चित्र 5.16: सर्वोदय की सीढ़ी — अंतिम व्यक्ति से सबके उदय तक

9.1 गांधीजी के आर्थिक विचार — शरीर-श्रम, स्वदेशी और आवश्यकता बनाम लोभ

गांधीवादी नैतिकता आर्थिक क्षेत्र तक फैली है। गांधीजी कहते थे कि हर व्यक्ति को अपनी रोटी अपने हाथों के श्रम से कमाना चाहिए — इसे वे **शरीर-श्रम (Bread Labour)** कहते थे, और यही व्यक्ति को भोजन का नैतिक अधिकार देता है। उनके अनुसार कुछ लोगों के लिए बाक़ी लोगों का शोषण किए बिना अपार धन इकट्ठा करना असंभव है, और **शोषण भी हिंसा का ही एक रूप है**। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, इसलिए उसे भोजन, आवास और वस्त्र के साधन पाने का भी अधिकार है।

गांधीजी आर्थिक समानता लाने के लिए किसी उग्र या हिंसक तरीक़े का समर्थन नहीं करते। आदर्श रूप में धन का समान बँटवारा होना चाहिए, पर यह व्यावहारिक नहीं, इसलिए वे **न्यायसंगत (Equitable) बँटवारे** की बात करते हैं। वे लोगों से अपनी आवश्यकताएँ घटाने और सादा जीवन जीने का आग्रह करते हैं — इससे जो संसाधन बचेंगे, वे गरीबों की सहायता में लग सकेंगे।

“पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त देती है, पर हर व्यक्ति के लोभ को पूरा करने के लिए नहीं। (Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed.)” — महात्मा गांधी (प्यारेलाल द्वारा उद्धृत)

आसान परिभाषा: शरीर-श्रम (Bread Labour)

परिभाषा: गांधीजी का यह सिद्धांत कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए कुछ न कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि

श्रम ही भोजन का नैतिक अधिकार देता है और यह श्रम की गरिमा तथा सामाजिक समानता को बढ़ाता है।

आसान भाषा में: जो खाता है, वह कुछ न कुछ हाथ से काम भी करे — कोई काम छोटा नहीं। **उदाहरण:** आश्रम में गांधीजी स्वयं शौचालय साफ़ करते थे और सूत कातते थे; आज "श्रमदान" और स्वच्छता अभियान में अधिकारियों का स्वयं झाड़ू उठाना इसी भावना का रूप है।

आसान परिभाषा: स्वदेशी (Swadeshi)

परिभाषा: अपने निकटतम परिवेश की सेवा को प्राथमिकता देने और स्थानीय उत्पादों, कारीगरों व संसाधनों के उपयोग पर बल देने का सिद्धांत, ताकि गाँव और समुदाय आत्मनिर्भर बनें और शोषण-आधारित बाहरी निर्भरता घटे।

आसान भाषा में: जो चीज़ पास में बन सकती है, उसे दूर से मत मँगाओ — पड़ोसी कारीगर की रोज़ी भी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। **उदाहरण:** खादी, ग्रामोद्योग, आज का "वोकल फ़ॉर लोकल" और "एक ज़िला एक उत्पाद" जैसी पहलें इसी विचार से मेल खाती हैं।

भूदान — जब एक व्यक्ति ने ट्रस्टीशिप को आंदोलन बना दिया

18 अप्रैल 1951 को गांधीजी के शिष्य **आचार्य विनोबा भावे** तेलंगाना के **पोचमपल्ली** गाँव पहुँचे। वहाँ के भूमिहीन दलित परिवारों ने कहा कि उन्हें गुज़ारे के लिए थोड़ी ज़मीन चाहिए। विनोबा ने गाँव वालों से पूछा — "क्या कोई इनके लिए ज़मीन दे सकता है?" तभी गाँव के एक ज़मींदार **वी. रामचंद्र रेड्डी** ने खड़े होकर लगभग 100 एकड़ ज़मीन दान कर दी।

इसी घटना से **भूदान आंदोलन** का जन्म हुआ। विनोबा ने वर्षों तक पूरे देश में पैदल यात्रा की और लाखों एकड़ ज़मीन दान में मिली। यह गांधी के **ट्रस्टीशिप** सिद्धांत का सबसे बड़ा जीवंत प्रयोग था — बिना क़ानून, बिना बल, केवल नैतिक अपील से संपत्ति का स्वैच्छिक पुनर्वितरण।

9.2 सर्वोदय/ट्रस्टीशिप बनाम उपयोगितावाद बनाम मार्क्सवाद

तुलना का आधार	सर्वोदय / ट्रस्टीशिप	उपयोगितावाद (Utilitarianism)	मार्क्सवाद (Marxism)
लक्ष्य	समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण उदय।	अधिकतम लोगों का अधिकतम हित।	वर्गविहीन समाज की स्थापना।
साधन	पूर्णतः अहिंसक और नैतिक।	कोई भी उपयोगी/प्रभावी तरीका।	क्रांति — ज़रूरत पड़ने पर हिंसक भी।
संपत्ति की धारणा	ट्रस्ट में — व्यक्तिगत नहीं, समाज/ईश्वर की।	व्यक्तिगत अधिकार (Individual Rights) मान्य।	राज्य (State) के नियंत्रण में।
कमज़ोर वर्ग की स्थिति	अंत्योदय — सबसे पहले प्राथमिकता।	बहुसंख्यक के हित को प्राथमिकता, अल्पसंख्यक गौण।	श्रमिक वर्ग (Proletariat) का हित केंद्र में।
प्रशासनिक उदाहरण	मनरेगा, पीएम-किसान, अंत्योदय अन्न योजना।	सामान्य कल्याणकारी योजनाएँ (Welfare Programs)।	राजकीय समाजवाद (State Socialism) के मॉडल।

तीन आर्थिक दर्शन — संपत्ति किसकी?



चित्र 5.17: तीन आर्थिक दर्शन — संपत्ति किसकी?

राजस्थान से जुड़े सर्वोदय के जीवंत उदाहरण

राजसमंद ज़िले के पिपलांत्री गाँव का मॉडल (देखें अध्याय की शुरुआती कहानी) — बेटी के जन्म पर पेड़ लगाना — पर्यावरण और महिला-सशक्तिकरण दोनों को साथ जोड़ता है, यह सर्वोदय का जीता-जागता उदाहरण है। इसके अलावा, इंदिरा रसोई योजना (राजस्थान, 2020) — जिसके तहत बेहद रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि 'कोई भूखा न सोए' — तथा पीएम-कुसुम योजना (2019) — जो किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़कर प्राकृतिक संसाधनों की ट्रस्टीशिप सिखाती है — दोनों इसी भावना के आधुनिक उदाहरण हैं।

📖 कहानी: "सेठ जी का ट्रस्ट" — CSR का पैसा और गांधी का जंतर

बारां ज़िले में एक बड़ी सीमेंट कंपनी का संयंत्र था। कंपनी अपने **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** के फंड से ज़िला मुख्यालय पर एक भव्य "सिटी गेट" और एक संगीतमय फव्वारा बनवाना चाहती थी। कंपनी के प्रबंधक ने कलेक्टर **अमित** (काल्पनिक नाम) से कहा — "साहब, उद्घाटन आपके हाथों होगा, अखबारों में बड़ी खबर छपेगी, ज़िले की छवि चमकेगी।" कुछ स्थानीय नेता भी इस प्रस्ताव के पक्ष में थे।

अमित के मन में एक और चित्र था। पिछले हफ्ते वे शाहाबाद क्षेत्र की **सहरिया** जनजाति (राजस्थान का एकमात्र विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह — PVTG) की एक बस्ती में गए थे, जहाँ कुपोषण से ग्रस्त बच्चे, बिना छत का आंगनबाड़ी केंद्र और कई किलोमीटर दूर से पानी लाती महिलाएँ उन्होंने देखी थीं। उन्हें गांधी का जंतर याद आया — "सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा याद करो, और पूछो — क्या मेरा यह क़दम उसके किसी काम आएगा?" सिटी गेट उस बस्ती के बच्चे के किसी काम नहीं आता।

पर अमित किसी पर कुछ थोपना नहीं चाहते थे — CSR का निर्णय कंपनी का था। उन्होंने कंपनी के निदेशक को उस बस्ती में साथ चलने का निमंत्रण दिया। निदेशक ने वहाँ बच्चों का वज़न होते देखा, महिलाओं की बातें सुनीं। लौटते समय गाड़ी में वह बहुत देर चुप रहे, फिर बोले — "हमारा संयंत्र इसी ज़मीन के पत्थर से चलता है। इस ज़मीन के लोगों का हम पर पहला हक़ है।"

कंपनी ने उसी CSR फंड से 20 आंगनबाड़ी केंद्रों का पक्का निर्माण, पोषण-वाटिकाएँ और तीन गाँवों में पेयजल योजना शुरू की; निगरानी के लिए ग्राम सभा की समिति बनी। दो साल में उन गाँवों में गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या आधी से भी कम हो गई। कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन में निदेशक ने लिखा — "हमने सीखा कि हम इस संपत्ति के मालिक नहीं, ट्रस्टी हैं।"

🔑 **इस कहानी से सीख:** ट्रस्टीशिप का अर्थ है कि संपत्ति और संसाधन समाज की अमानत हैं, और उनका उपयोग सबसे ज़रूरतमंद के लिए होना चाहिए। गांधी का जंतर प्रशासनिक प्राथमिकताएँ तय करने की सबसे सरल कसौटी है। प्रशासक का काम आदेश थोपना नहीं, बल्कि हृदय-परिवर्तन के लिए सही परिस्थितियाँ बनाना है — यही गांधीवादी तरीका है।

सर्वोदय और ट्रस्टीशिप की आज की प्रासंगिकता: ये सिद्धांत आज भी मनरेगा, अंत्योदय अन्न योजना, राजस्थान की इंदिरा रसोई और पिपलांत्री मॉडल जैसे ठोस रूपों में जीवित हैं।

10. राजनीति-धर्म, राज्य की अवधारणा, हृदय-परिवर्तन एवं स्वराज

10.1 राजनीति और धर्म (Politics and Religion)

🌟 प्रामाणिक कथन

"धर्म से रहित राजनीति निरी गंदगी है, जिससे सदैव दूर रहना चाहिए।" ("Politics bereft of religion is absolute dirt, ever to be shunned.") — महात्मा गांधी, यंग इंडिया

- ◆ गांधीजी के अनुसार राजनीति और धर्म (नैतिकता) को कभी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा है, और नैतिकता के बिना सत्ता सेवा का नहीं, स्वार्थ और शोषण का साधन बन जाती है।
- ◆ यहाँ 'धर्म' का अर्थ किसी संप्रदाय-विशेष से नहीं, बल्कि नैतिकता और सत्य से है।
- ◆ प्रशासन में इसका अर्थ — नैतिकता-विहीन राजनीति ही कुशासन, भ्रष्टाचार और जनता के शोषण को जन्म देती है।

10.2 राज्य की अवधारणा — दार्शनिक अराजकतावादी दृष्टिकोण

🔍 आसान परिभाषा: दार्शनिक अराजकतावाद (Philosophical Anarchism) एवं ग्राम स्वराज

📖 **परिभाषा:** गांधीजी एक 'दार्शनिक अराजकतावादी' थे — यानी वे किसी दमनकारी, केंद्रीकृत पुलिस-राज्य (Police State) के सख्त विरोधी थे, और चाहते थे कि सत्ता का अधिकतम विकेंद्रीकरण हो। उनके अनुसार राज्य संगठित और केंद्रित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वह अंततः दंड और बल के सहारे चलता है; इसलिए उनका आदर्श ऐसा समाज था, जहाँ हर व्यक्ति स्वयं पर इतना नियंत्रण रखे कि बाहरी शासन की ज़रूरत न्यूनतम रह जाए।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे एक बड़े स्कूल में हर क्लास का अपना मॉनिटर हो और छोटे-छोटे फैसले वहीं क्लास में हो जाएँ, बजाय इसके कि हर बात के लिए प्रिंसिपल के पास जाना पड़े — गांधीजी चाहते थे कि हर गाँव भी अपने ज़्यादातर फैसले खुद ले सके, यही 'ग्राम स्वराज' है। 🏠
उदाहरण: पंचायती राज व्यवस्था — जिसमें गाँव स्तर पर ही कई प्रशासनिक व विकास से जुड़े फैसले लिए जाते हैं — गांधीजी के 'हर गाँव एक गणराज्य' (Every village a republic) वाले विचार का संवैधानिक रूप है।

- ◆ गांधीजी के लिए 'ग्राम राज्य' का अर्थ किसी धर्म-विशेष का शासन नहीं, बल्कि ग्राम स्वराज था — यानी एक ऐसा न्यायपूर्ण समाज, जहाँ सबसे कमज़ोर व्यक्ति की भी सुनवाई हो और जो राज्य-सत्ता के अत्यधिक दबाव, वर्ग-भेद और हिंसा से मुक्त हो।
- ◆ 73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (पारित 1992, प्रभावी 24 अप्रैल 1993) — पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर, गांधीजी के विकेंद्रीकरण के सपने को व्यावहारिक रूप दिया।

ग्राम स्वराज से 73वें संशोधन तक



चित्र 5.18: ग्राम स्वराज से 73वें संशोधन तक

10.3 भारतीय संविधान में गांधीवादी विचार

संविधान सभा ने गांधीजी के अनेक विचारों को **राज्य के नीति निदेशक तत्वों** में स्थान दिया, ताकि राज्य उन्हें धीरे-धीरे लागू करे:

अनुच्छेद	प्रावधान	गांधीवादी विचार
अनुच्छेद 40	ग्राम पंचायतों का गठन	ग्राम स्वराज, विकेंद्रीकरण
अनुच्छेद 43	ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा	स्वदेशी, ग्रामोद्योग
अनुच्छेद 46	अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक-आर्थिक हितों की रक्षा	अंत्योदय, दरिद्र नारायण
अनुच्छेद 47	मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध का प्रयास	नशाबंदी
अनुच्छेद 48	कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन, गोवंश संरक्षण	ग्रामीण अर्थव्यवस्था
अनुच्छेद 17	अस्पृश्यता का उन्मूलन (मौलिक अधिकार)	अस्पृश्यता-निवारण व्रत

10.4 हृदय-परिवर्तन (Change of Heart)

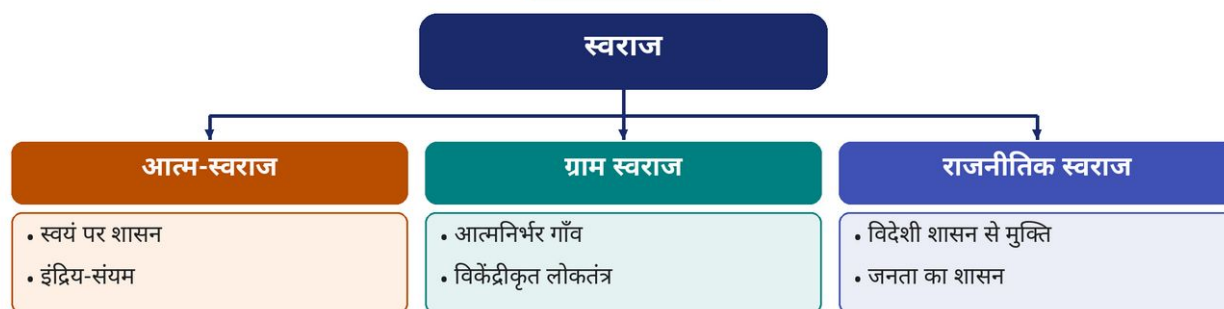
- ◆ गांधीजी का मानना था कि व्यक्ति का आचरण काफ़ी हद तक उसके विचारों पर निर्भर करता है, और हर मनुष्य में — चाहे वह अपराधी ही क्यों न हो — अच्छाई का कुछ अंश अवश्य होता है; यदि उसके विचार बदल दिए जाएँ तो उसका आचरण भी बदल जाएगा — इसलिए किसी अपराधी या अत्याचारी को दंड देने की बजाय, सत्याग्रह, उपवास और प्रेम के माध्यम से उसका 'हृदय-परिवर्तन' किया जा सकता है।
- ◆ प्रशासन में इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण — आपराधिक न्याय व्यवस्था में केवल दंड (Punish) पर ज़ोर न देकर सुधार (Reform) पर भी ज़ोर देना।
- ◆ नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में चलाई जाने वाली 'आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति' (Surrender-cum-Rehabilitation Policy) भी इसी 'हृदय-परिवर्तन' के दर्शन पर आधारित मानी जा सकती है।

राष्ट्रीय एकता के लिए आर्थिक न्याय: गांधी का मानना था कि अमीर और गरीब के बीच की खाई पाटना राष्ट्रीय एकता के लिए उतना ही ज़रूरी है, जितना धर्मों के बीच सद्भाव। आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए काम करने से वह कड़वाहट और पीड़ा दूर होगी, जो असमानता से पैदा होती है। समानता की यह नींव "यहीं और अभी" रखनी होगी और जनता की नैतिक संतुष्टि के माध्यम से ईंट-दर-ईंट बनानी होगी। गांधी ने **श्रम की गरिमा** को एक ऐसे सामाजिक समतलीकरण-कारक के रूप में सिखाया — यानी ऐसा तत्व जो ऊँच-नीच मिटाकर सबको बराबरी पर लाता है, क्योंकि जब हर व्यक्ति हाथ से काम करेगा तो 'बड़ा काम' और 'छोटा काम' का भेद ही मिट जाएगा। यही विचार नए भारत की राष्ट्रीय दृष्टि में योगदान देता है।

10.5 स्वराज (Swaraj) — तीन आयाम

स्वराज का प्रकार	अर्थ
आत्म-स्वराज	स्वयं की इच्छाओं, कमज़ोरियों और इंद्रियों पर आत्म-नियंत्रण — गांधीजी के अनुसार यही सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी स्वराज है।
राजनीतिक स्वराज	विदेशी/पराए शासन से पूर्ण मुक्ति।
आर्थिक स्वराज	आत्मनिर्भरता — खादी और स्वदेशी के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा होना।

स्वराज के तीन आयाम



चित्र 5.19: स्वराज के तीन आयाम

10.6 "हिंद स्वराज" (1909) — आधुनिक सभ्यता की आलोचना

गांधीजी ने 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज़ (किल्डोनन कैसल) पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "हिंद स्वराज" गुजराती में लिखी। यह पुस्तक संवाद-शैली में है और इसमें उन्होंने पश्चिमी आधुनिक सभ्यता की तीखी आलोचना की — उनके अनुसार यह सभ्यता भौतिक सुख और मशीनों को ही प्रगति मानती है, जिससे मनुष्य का नैतिक पतन होता है। उन्होंने रेल, वकीलों और डॉक्टरों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। गांधीजी के लिए सच्ची सभ्यता वह है जो मनुष्य को **कर्तव्य-पालन और आत्म-संयम** की ओर ले जाए। इसीलिए उनका स्वराज केवल अंग्रेज़ों को हटाना नहीं, बल्कि "अंग्रेज़ों के बिना अंग्रेज़ी राज" से भी बचना था — यानी ऐसा न हो कि अंग्रेज़ तो चले जाएँ, पर उनकी शोषणकारी व्यवस्था और भोगवादी सभ्यता वैसी की वैसी बनी रहे। गांधीजी के शब्दों में, यह बाघ को हटाकर बाघ का स्वभाव रख लेने जैसा होगा।

10.7 नई तालीम — गांधी का शिक्षा-दर्शन

गांधीजी शिक्षा को "जीवन का प्रकाश" मानते थे और कहते थे कि नैतिकता का सार्वभौमिकरण शिक्षा के सार्वभौमिकरण से ही संभव है। 1937 के **वर्धा शिक्षा सम्मेलन** में उन्होंने **नई तालीम (बुनियादी शिक्षा)** का विचार रखा — हस्तशिल्प और उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा, ताकि "हाथ, हृदय और मस्तिष्क" तीनों का विकास हो। श्रम की गरिमा उनकी शिक्षा का केंद्रीय मूल्य था।

आधार	नई तालीम (गांधी)	शांतिनिकेतन (टैगोर)
दर्शन	आत्मनिर्भरता, ग्रामीण सशक्तीकरण, सत्य-अहिंसा जैसे मूल्य	समग्र विकास, कलात्मक अभिव्यक्ति, आध्यात्मिक विकास
शिक्षण-पद्धति	कार्य-आधारित शिक्षा — कृषि, कताई, हस्तशिल्प	खुले आकाश के नीचे, प्रकृति के बीच शिक्षा
सांस्कृतिक संदर्भ	भारतीय ग्रामीण जीवन और आत्मनिर्भर गाँव	भारतीय और वैश्विक विचारों का समन्वय

10.8 रचनात्मक कार्यक्रम (Constructive Programme)

गांधीजी के लिए स्वराज केवल आंदोलन से नहीं, बल्कि **समाज के रचनात्मक पुनर्निर्माण** से आना था। 1941 में उन्होंने "रचनात्मक कार्यक्रम: उसका अर्थ और स्थान" नामक पुस्तिका लिखी, जिसके 1945 के संशोधित संस्करण में अठारह कार्य गिनाए गए — जैसे **सांप्रदायिक एकता**, **अस्पृश्यता-निवारण**, **नशाबंदी**, **खादी**, **ग्रामोद्योग**, **ग्राम-स्वच्छता**, **बुनियादी शिक्षा**, **प्रौढ़ शिक्षा**, **महिलाओं का उत्थान**, **स्वास्थ्य-शिक्षा**, **राष्ट्रभाषा**, **आर्थिक समानता**, **किसानों, मज़दूरों और आदिवासियों का कल्याण**। आज की अनेक कल्याणकारी योजनाएँ — स्वच्छ भारत मिशन (2 अक्टूबर 2014 से), साक्षरता और महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम — इसी रचनात्मक कार्यक्रम की आधुनिक प्रतिध्वनियाँ हैं।

रचनात्मक कार्यक्रम — प्रमुख कार्य और आज का रूप



चित्र 5.20: रचनात्मक कार्यक्रम — प्रमुख कार्य और आज का रूप

गांधीजी के लिए स्वराज केवल 'अंग्रेज़ों से आज़ादी' (राजनीतिक स्वराज) तक सीमित नहीं था — उनके लिए इसका सबसे गहरा अर्थ **आत्म-नियंत्रण (आत्म-स्वराज)** था। यह बिंदु अक्सर अनदेखा रह जाता है, जबकि यही गांधी के स्वराज की आत्मा है।

11. तुलनात्मक अध्ययन — गांधी बनाम टैगोर/आंबेडकर/बोस

गांधीजी को उनके समकालीन महान विचारकों से तुलना करके और गहराई से समझा जा सकता है। नीचे तीन सबसे महत्वपूर्ण तुलनाएँ दी गई हैं।

11.1 गांधी बनाम टैगोर (Gandhi vs Tagore)

रवींद्रनाथ टैगोर ने गांधीजी को सबसे पहले 'महात्मा' कहकर संबोधित किया था, फिर भी कई विषयों पर दोनों में गहरा मतभेद था — दोनों के बीच यह वैचारिक बहस भारतीय बौद्धिक इतिहास की सबसे प्रसिद्ध बहसों में गिनी जाती है।

विषय	गांधी का मत	टैगोर का मत
बिहार भूकंप, 1934	भूकंप को छुआछूत के पाप के लिए एक तरह का 'दैवीय दंड' बताया।	इस सोच का कड़ा वैज्ञानिक विरोध किया — प्राकृतिक आपदा को नैतिक पाप से जोड़ना अवैज्ञानिक बताया।
चरखा और आधुनिक विज्ञान	मशीनीकरण व बड़े पैमाने के औद्योगीकरण के विरुद्ध — चरखे व हस्तकला को प्राथमिकता।	आधुनिक विज्ञान व तकनीक से ही गरीबी मिट सकती है, इस पर बल दिया।
शिक्षा	नैतिक शिक्षा + शारीरिक श्रम (Bread Labour) पर बल।	शांतिनिकेतन के माध्यम से रचनात्मक, उदार (Liberal) शिक्षा को बढ़ावा दिया।
राष्ट्रवाद	आध्यात्मिक राष्ट्रवाद (Spiritual Nationalism) की भावना।	संकुचित राष्ट्रवाद (Narrow Nationalism) की अवधारणा का विरोध किया।

टैगोर का दृष्टिकोण — गहराई से: रवींद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांतिनिकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय शुरू किया, जो 1921 में विश्वभारती विश्वविद्यालय बना; 1913 में उन्हें "गीतांजलि" के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, और 1919 में जलियाँवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई "नाइटहुड" की उपाधि लौटा दी (गांधी ने भी 1920 में अपना "कैसर-ए-हिंद" पदक लौटाया)। टैगोर के लिए **राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सच्ची स्वतंत्रता है, जब उसके साथ आध्यात्मिक स्वतंत्रता हो** — व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता, दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरी हैं।

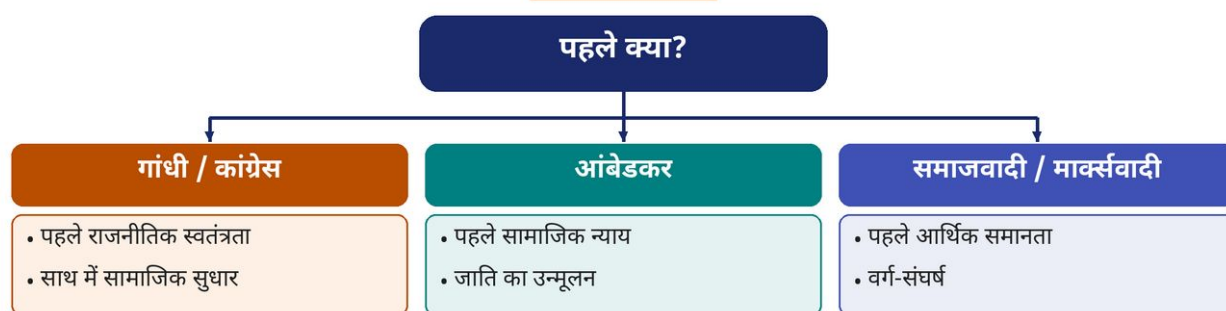
टैगोर का **आध्यात्मिक मानववाद** ब्रह्मांड से एकत्व और समस्त मानवता से प्रेम की बात करता है; यह सांसारिक सुखों से विरक्ति और कठोर तपस्या में विश्वास नहीं करता, बल्कि संसार के सौंदर्य को अपनाने की बात करता है। यहीं गांधी से उनका एक सूक्ष्म अंतर दिखता है — गांधी आत्म-संयम, सादगी और व्रतों पर बल देते थे, जबकि टैगोर सौंदर्य, कला और रचनात्मक स्वतंत्रता पर। फिर भी दोनों ही संकीर्ण स्वार्थपूर्ण व्यक्तिवाद, सुखवाद और केवल उपयोगितावाद को अस्वीकार करते थे, और दोनों का लक्ष्य मनुष्य की पूर्णता था, जो पूरे समाज के हित में हो।

11.2 गांधी बनाम डॉ. भीमराव आंबेडकर (Gandhi vs Ambedkar)

समानताएँ (Similarities)	असमानताएँ (Differences)
◆ दोनों छुआछूत के पूर्ण उन्मूलन के पक्षधर थे।	◆ गांधी: वर्ण-व्यवस्था (श्रम-विभाजन के रूप में) को दोषपूर्ण नहीं मानते थे, सिर्फ अस्पृश्यता का विरोध करते थे। आंबेडकर: पूरी जाति-व्यवस्था को ही समाप्त करना चाहते थे।
◆ दोनों समाज के वंचित/शोषित वर्गों के उत्थान के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थे।	◆ गांधी ने दलित समुदाय के लिए 'हरिजन' (ईश्वर की संतान) शब्द प्रचलित किया। आंबेडकर इस शब्द को उपकारपूर्ण (Patronizing) और सम्मान-विहीन मानते थे, और उनके अनुयायियों ने आत्म-सम्मान जताने वाला शब्द 'दलित' अपनाया।
◆ दोनों मूल रूप से अहिंसक तरीकों में विश्वास रखते थे।	◆ गांधी: गाँव को 'ग्राम स्वराज' के आदर्श रूप में देखते थे। आंबेडकर: गाँव को जातिवाद और संकीर्णता का अड्डा भी मानते थे।
◆ दोनों सामाजिक न्याय के सजग प्रहरी माने जाते हैं।	◆ गांधी: ट्रस्टीशिप पर बल। आंबेडकर: राजकीय समाजवाद (State Socialism) व भूमि-सुधार पर अधिक बल देते थे।

आंबेडकर का मूल तर्क: डॉ. आंबेडकर के अनुसार भारत में सामाजिक अन्याय की जड़ **जाति-व्यवस्था** थी, जिसने मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का वातावरण बनाया। उनका मानना था कि **जाति के उन्मूलन द्वारा सामाजिक न्याय स्थापित किए बिना भारत में कोई लोकतंत्र संभव नहीं**। इसीलिए उनकी स्थिति कांग्रेस और गांधी से भी अलग थी, जो पहले राजनीतिक सुधार और अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहते थे, और समाजवादियों-मार्क्सवादियों से भी, जो पहले आर्थिक समानता चाहते थे। उनका मानना था कि उच्च वर्ग स्वयं इस व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि यह उनके हित में है; इसलिए उन्होंने वंचितों के लिए **संवैधानिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं में सीधे प्रतिनिधित्व** की माँग की। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं — "जाति का विनाश" (Annihilation of Caste, 1936), "शूद्र कौन थे" (1946) और "अछूत" (1948)।

स्वतंत्र भारत की प्राथमिकता — तीन दृष्टिकोण



चित्र 5.21: स्वतंत्र भारत की प्राथमिकता — तीन दृष्टिकोण

11.3 गांधी बनाम सुभाष चंद्र बोस (Gandhi vs Bose)

विषय	महात्मा गांधी	सुभाष चंद्र बोस
परस्पर संबोधन	गांधीजी ने बोस को 'देशभक्तों का राजकुमार' कहा था।	बोस ने गांधीजी को सबसे पहले सार्वजनिक रूप से 'राष्ट्रपिता' कहकर संबोधित किया था।
प्रतिरोध का तरीका	अहिंसा और सविनय अवज्ञा।	सशस्त्र प्रतिरोध (Armed/Military Struggle) — आज़ाद हिंद फ़ौज।
साधन-साध्य दृष्टिकोण	कर्तव्यवादी — साधन भी पवित्र होने चाहिए।	परिणामवादी — आज़ादी (साध्य) सर्वोपरि, साधन गौण।
विदेशी सहयोग पर रुख	नैतिक आधार पर विरोधी।	जर्मनी व जापान से सैन्य सहयोग लिया।
आर्थिक दृष्टिकोण	स्वदेशी, ट्रस्टीशिप, ग्राम-स्वराज पर बल।	आधुनिक व तीव्र औद्योगिकरण के समर्थक।

गांधी और समकालीन — मतभेद का साझा सूत्र



चित्र 5.22: गांधी और समकालीन — मतभेद का साझा सूत्र

11.4 गांधीवाद की आलोचना और आज की प्रासंगिकता

आलोचनाएँ: कई विद्वान मानते हैं कि गांधीवादी आदर्श — पूर्ण अहिंसा, ट्रस्टीशिप, मशीनों का विरोध — आधुनिक औद्योगिक और प्रतिस्पर्धी दुनिया में पूरी तरह व्यावहारिक नहीं हैं। ट्रस्टीशिप धनी वर्ग की स्वेच्छा पर निर्भर है, जिसकी कोई गारंटी नहीं। डॉ. आंबेडकर जैसे विचारकों ने वर्ण-व्यवस्था पर गांधी के शुरुआती विचारों और ग्राम-केंद्रित दृष्टि की आलोचना की, क्योंकि उनके अनुसार गाँव जातिगत भेदभाव के केंद्र भी थे। कुछ आलोचक धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक उपयोग पर भी प्रश्न उठाते हैं।

प्रासंगिकता: इन आलोचनाओं के बावजूद गांधीवादी विचार आज भी अनेक रूपों में जीवित हैं — पंचायती राज, कल्याणकारी योजनाओं में अंत्योदय का सिद्धांत, सतत विकास और पर्यावरण-संरक्षण ("आवश्यकता, लोभ नहीं"), CSR, वैकल्पिक विवाद-समाधान और सुधारात्मक न्याय। विश्व-स्तर पर भी नेल्सन मंडेला (दक्षिण अफ्रीका) और मार्टिन लूथर किंग जूनियर (अमेरिका) ने गांधीवादी अहिंसक संघर्ष को अपनी प्रेरणा माना — किंग ने 1959 में भारत आकर इसे "तीर्थयात्रा" कहा था। यह दिखाता है कि सत्य और अहिंसा केवल व्यक्तिगत आचरण नहीं, बल्कि विश्व-राजनीति के भी सिद्धांत बन सकते हैं।

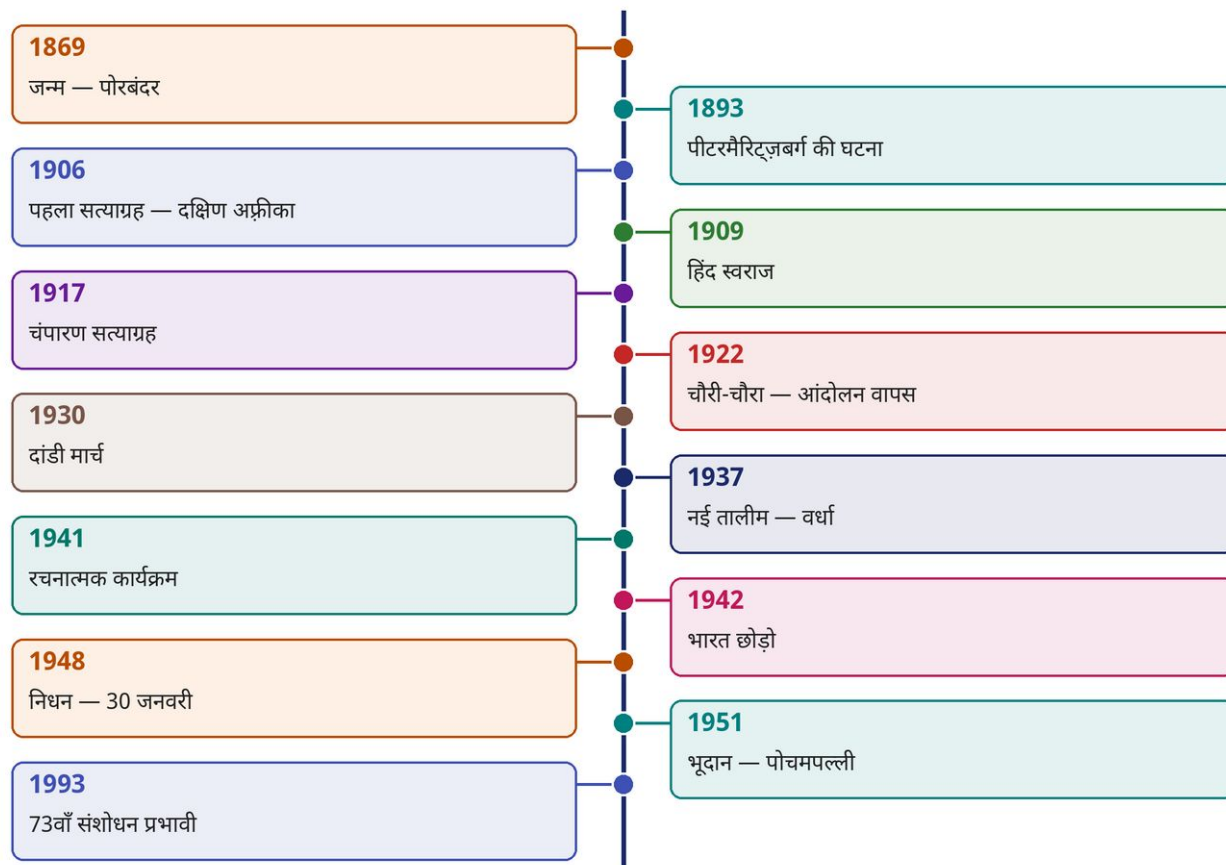
तीनों तुलनाओं में एक साझा सूत्र दिखता है — टैगोर से मतभेद विज्ञान और तर्क को लेकर था, आंबेडकर से जाति-व्यवस्था की जड़ को लेकर, और बोस से साधन की पवित्रता को लेकर।

12. गांधीवादी नीतिशास्त्र — ऐतिहासिक यात्रा एवं प्रशासनिक प्रासंगिकता

वर्ष / संदर्भ	विषय / घटना
1869	मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म — पोरबंदर (गुजरात)।
1888-1891	लंदन में विधि (Law) की पढ़ाई — इसी दौरान भगवद्गीता व बाइबिल से गहरा परिचय हुआ; एडविन आर्नल्ड की 'Light of Asia' पढ़ी।
1893-1915	दक्षिण अफ्रीका प्रवास — नस्लीय भेदभाव का सामना; फ्रीनिक्स सेटलमेंट व टॉल्स्टॉय फ़ार्म की स्थापना।
1904	जॉन रस्किन की 'Unto This Last' पढ़ी — इसी से सर्वोदय व अंत्योदय के विचार की नींव पड़ी।
1906	दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह — 'निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance)' के स्थान पर 'सत्याग्रह' नाम अपनाया गया।
1908	प्लेटो की 'अपोलॉजी ऑफ़ सॉक्रेटीज़' (Apology of Socrates) का गुजराती रूपांतरण — 'एक सत्यवीर की कथा' शीर्षक से प्रकाशित।
1915	भारत वापसी — गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना।
1919	रॉलेट एक्ट का विरोध — जलियाँवाला बाग हत्याकांड — गांधीजी का राष्ट्रीय नेतृत्व स्थापित हुआ।
1920-22	असहयोग आंदोलन — चोरी-चौरा कांड (1922) के बाद आंदोलन वापस लिया — साधन की पवित्रता के प्रति गांधीजी की दृढ़ता की मिसाल।
20 मार्च 1925	लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी में फ़ादर फ्रेडरिक लुईस डोनाल्डसन के उपदेश में '7 सामाजिक पाप' की सूची पहली बार सामने आई।
22 अक्टूबर 1925	गांधीजी ने यह सूची अपनी पत्रिका 'यंग इंडिया' में पुनः प्रकाशित की — तभी से यह भारत में लोकप्रिय हुई।
1930	दांडी मार्च — नमक कानून तोड़ा — सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत।
24 सितंबर 1932	पूना पैक्ट — गांधी व आंबेडकर के बीच अलग निर्वाचिका (Separate Electorate) के मुद्दे पर समझौता।
30 सितंबर 1932	'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना — अस्पृश्यता-निवारण हेतु।
जनवरी 1934	बिहार भूकंप — गांधी व टैगोर के बीच वैचारिक मतभेद।
1942	भारत छोड़ो आंदोलन — "करो या मरो" का नारा — गांधीजी के सबसे उग्र सत्याग्रह का उदाहरण।
30 जनवरी 1948	गांधीजी की हत्या — जीवन के अंतिम क्षणों से जुड़ा 'हे राम' कथन व्यापक रूप से प्रचलित है, हालाँकि प्रत्यक्षदर्शियों के बीच इसके सटीक शब्दों को लेकर कुछ मतभेद भी दर्ज हैं।
1992-93	73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (पारित 1992, प्रभावी 24 अप्रैल 1993) — पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा — ग्राम स्वराज का संवैधानिक रूप।
2019	पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना स्वीकृत — किसानों हेतु सौर ऊर्जा — प्राकृतिक संसाधनों की ट्रस्टीशिप का आधुनिक उदाहरण।
2020	राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ — सर्वोदय व दरिद्र नारायण सेवा का समकालीन रूप।

New India Education by Omkar Sir

गांधीवादी नीतिशास्त्र — ऐतिहासिक यात्रा



चित्र 5.23: गांधीवादी नीतिशास्त्र — ऐतिहासिक यात्रा

★ अध्याय का सार — एक पंक्ति में

गांधीवादी नीतिशास्त्र किसी दार्शनिक की मेज़ पर नहीं, बल्कि लाखों आम भारतीयों के साथ किए गए वास्तविक जीवन-प्रयोगों में गढ़ा गया — सत्य और अहिंसा इसकी नींव हैं, सत्याग्रह इसका हथियार है, ट्रस्टीशिप व सर्वोदय इसकी अर्थनीति है, और साधन की पवित्रता इसकी सबसे बड़ी शर्त है — यही कारण है कि एक सदी बाद भी, चाहे भ्रष्टाचार-विरोध हो या पर्यावरण-संरक्षण, हर क्षेत्र में गांधीवादी नीतिशास्त्र उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है।

बोनस: उत्तर-लेखन अभ्यास (मॉडल प्रश्न और उत्तर)

प्रश्न 1: "गांधीजी के सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत आधुनिक प्रशासन के लिए कितने प्रासंगिक हैं?"

उत्तर: गांधीजी का सर्वोदय (सभी का उदय) और ट्रस्टीशिप (धन को 'न्यास' समझना) — दोनों सिद्धांत पूँजीवाद और साम्यवाद के बीच एक अहिंसक व नैतिक मध्य-मार्ग सुझाते हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।

◆ **कल्याणकारी योजनाओं में झलक:** मनरेगा, अंत्योदय अन्न योजना, तथा राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना — सभी अंत्योदय (समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान) के सिद्धांत पर आधारित हैं।

◆ **CSR में ट्रस्टीशिप:** कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कानून तथा टाटा ट्रस्ट्स, अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन जैसी संस्थाएँ — धन को व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, बल्कि सामाजिक न्यास (Trust) मानने की भावना को दर्शाती हैं।

◆ **सीमाएँ:** आलोचकों का तर्क है कि आधुनिक बाज़ार-अर्थव्यवस्था में स्वैच्छिक ट्रस्टीशिप पर पूरी तरह निर्भर रहना अव्यावहारिक है, इसलिए राज्य को कानून व नीति के माध्यम से इसे सुनिश्चित करना पड़ता है (जैसे CSR को अनिवार्य बनाना)।

निष्कर्ष: सर्वोदय और ट्रस्टीशिप को हूबहू लागू करना कठिन हो सकता है, पर इनकी मूल भावना — 'समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता' और 'धन का ज़िम्मेदार उपयोग' — आज की समावेशी विकास-नीतियों (Inclusive Development) की आत्मा बनी हुई है।

प्रश्न 2: "गांधीजी के अनुसार साधन और साध्य की पवित्रता एक-दूसरे से अविभाज्य है।" इस कथन की विवेचना कीजिए।

उत्तर: गांधीजी कर्तव्यवादी (Deontologist) दार्शनिक थे, जिनके लिए साधन और साध्य एक ही सिक्के के दो पहलू थे — अपवित्र साधन से कभी स्थायी रूप से पवित्र साध्य प्राप्त नहीं हो सकता।

◆ **तुलनात्मक स्पष्टता:** कार्ल मार्क्स व सुभाष चंद्र बोस जैसे परिणामवादी (Consequentialist) विचारकों के विपरीत, गांधीजी परिणाम जितना ही महत्व प्रक्रिया/साधन को भी देते थे।

◆ **ऐतिहासिक उदाहरण:** असहयोग आंदोलन (1920-22) के दौरान चौरी-चौरा में हिंसा भड़कने पर गांधीजी ने पूरा आंदोलन वापस ले लिया, भले ही उस समय आंदोलन अपने चरम पर था — यह उनके 'साधन की पवित्रता' के सिद्धांत के प्रति दृढ़ता की सबसे बड़ी मिसाल है।

◆ **प्रशासनिक अनुप्रयोग:** एक अधिकारी जो किसी 'अच्छे उद्देश्य' (जैसे विकास-कार्य में तेज़ी) के नाम पर नियम-प्रक्रिया को दरकिनार करता है, वह गांधीवादी अर्थ में नैतिक रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता, भले ही उसका इरादा अच्छा क्यों न हो।

निष्कर्ष: गांधीजी का यह सिद्धांत आज के प्रशासन को यह सिखाता है कि 'परिणाम अच्छा होना चाहिए' के साथ-साथ 'प्रक्रिया भी उतनी ही पारदर्शी और नैतिक होनी चाहिए' — दोनों में से किसी एक की भी अनदेखी दीर्घकाल में शासन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाती है।

